

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़

भारत सरकार

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

पर्यावास भवन, सेक्टर-19, नदा रायपुर अटल नगर, जिला—रायपुर (छ.ग.)

ई-मेल : seaccog@gmail.com

विषय:- राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की दिनांक 29/11/2022 को संपन्न 436वीं बैठक का कार्यवाही
विवरण

—00—

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022 को डॉ. शी.पी. नोहारे, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में समिति के निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया:-

1. डॉ. शीलेश कुमार जाधव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
2. श्री एन.के. घन्डाकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
3. श्री किशन सिंह पुरुष, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
4. डॉ. मोहम्मद रफीक खान, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
5. डॉ. मनोज कुमार चौपकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
6. श्री कलदियुस तिकी, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति

समिति द्वारा एजेंडा में समिलित विषयों पर निम्नानुसार विचार किया गया:-

एजेंडा आवटम क्रमांक-1: 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 के कार्यवाही विवरण के अनुमोदन के संबंध में।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (एस.ई.ए.सी.), छत्तीसगढ़ की 435वीं बैठक दिनांक 28/11/2022 को संपन्न हुई थी। समिति को अवगत कराया गया कि बैठक का कार्यवाही विवरण तैयार किया जा रहा है, जिसे समिति के समक्ष शीघ्र प्रस्तुत किया जाएगा। उक्त विवरण से समिति सहमत हुई।

एजेंडा आवटम क्रमांक-2: गौण/मुख्य खनिजों एवं औद्योगिक परियोजना संबंधी प्रकरणों के प्रस्तुतीकरण उपरांत पर्यावरणीय स्थीकृति / टीओआर/अन्य आवश्यक निर्णय लिया जाना।

1. ऐसार्स पलेंग स्टोन कंपारी (प्रो.— श्री भूषण लाल मारकण्डे), ग्राम—लाफिनबुर्द, तहसील व जिला—महासमुंद (संधियालय का नस्ती क्रमांक 2130)
ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288683/ 2022, दिनांक 14/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन किया गया।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संबलित कशी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—लाफिनखुद, तहसील व ज़िला—महासमुंद रियत पार्ट ऑफ खसरा क्लमाक 602, कुल क्षेत्रफल—0.45 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तरानन क्षमता—750 घनमीटर प्रतिवर्ष है।

उदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु वी भूषण लाल सरकार, प्रोप्राइटर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में कशी पत्थर खदान खसरा क्लमाक 602, कुल क्षेत्रफल — 0.45 हेक्टेयर, क्षमता—750 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निधारण प्राधिकरण, ज़िला—महासमुंद द्वारा दिनांक 15 / 02 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति दिनांक 14 / 02 / 2022 तक वी अवधि हेतु जारी की गई थी।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 18 / 01 / 2021 अनुसार—

"9A. Notwithstanding anything contained in this notification, the period from the 1st April, 2020 to the 31st March, 2021 shall not be considered for the purpose of calculation of the period of validity of Prior Environmental Clearances granted under the provisions of this notification in view of outbreak of Corona Virus(COVID-19) and subsequent lockdowns (total or partial) declared for its control, however, all activities undertaken during this period in respect of the Environmental Clearance granted shall be treated as valid.".

उपरोक्त अधिसूचना के अनुसार पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक से दिनांक 14 / 02 / 2023 तक वैध होगी।

- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में वी गई कार्यवाही की जानकारी पोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान बताया गया कि एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय रायपुर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न मंडल रायपुर एवं छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न मंडल नवा रायपुर अटल नगर को पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त करने हेतु दिनांक 28 / 11 / 2022 को पत्र लेख किया गया है। समिति वा मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निर्धारित शर्तानुसार वृत्तारोपण किया गया है।

- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—महासंभुद के ज्ञापन अन्मांक 386 / क / खलि / न.क्र. / 2022 महासंभुद, दिनांक 10 / 03 / 2022 द्वारा विगत वर्षों में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
2017	143
2018	259
2019	40
2020	568
01 / 01 / 2021 से 30 / 09 / 2021 तक	100

साधित का मत है कि विगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

2. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत लाकिन लाकिनखुद का दिनांक 12 / 06 / 2015 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना — क्षेत्री प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो खनि अधिकारी, जिला—महासंभुद के ज्ञापन अन्मांक 1866 / क / खलि / न.क्र. / 2016 महासंभुद, दिनांक 19 / 09 / 2016 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में रिथत खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—महासंभुद के ज्ञापन अन्मांक 386 / क / खलि / न.क्र. / 2022 महासंभुद, दिनांक 10 / 03 / 2022 अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर खदानों की संख्या निरंक है।
5. 200 मीटर की परिधि में रिथत सार्वजनिक क्षेत्र / संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला—महासंभुद के ज्ञापन अन्मांक 386 / क / खलि / न.क्र. / 2022 महासंभुद, दिनांक 10 / 03 / 2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मसिजद, मरघट, पुल, नदी, रेल लाईन, अस्पताल, स्कूल, एनीकट बांध एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं। राजिन पोखरा महासंभुद भाग 40 मीटर एवं 125 मीटर की दूरी पर ग्राम आबादी अवस्थित है।
6. भूमि एवं लीज का विवरण — यह शासकीय भूमि है। लीज श्री भूषणलाल मारकण्डे के नाम पर है। लीज लौड 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 19 / 06 / 2011 से 18 / 06 / 2016 तक की अवधि हेतु ऐध थी। तत्पश्चात् लीज लौड 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 19 / 06 / 2016 से 18 / 06 / 2041 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) वी प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बनमण्डलाधिकारी, सामान्य बनमण्डल, जिला—महासंभुद के ज्ञापन अन्मांक / मा.वि. / खनिज / 2146 महासंभुद, दिनांक 20 / 06 / 2011 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र बन की सीमा से 8 कि.मी. की दूरी पर है।
9. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम—थिंगरीद 720 मीटर, स्कूल ग्राम—लाकिनखुद 1.60 कि.मी. एवं अस्पताल महासंभुद 8.45 कि.मी. की दूरी

पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 6.15 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 8.25 कि.मी. दूर है। मौसमी नाला 50 मीटर, नहर 200 मीटर, तालाब 1.06 कि.मी. एवं सुखा नदी 1.6 कि.मी. दूर है।

10. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पौल्युटैड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 22,203 घनमीटर, माईनेरल रिजर्व 10,782 घनमीटर एवं रिकल्हैरल रिजर्व 9,686 घनमीटर है। वर्तमान में जियोलॉजिकल रिजर्व 21,093 घनमीटर एवं माईनेरल रिजर्व 9,652 घनमीटर है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्थनन के लिए प्रतिविधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,020 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्थनन किया जाता है। उत्थनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 6 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,086 घनमीटर है, जिसमें से 708 घनमीटर ऊपरी मिट्टी वर्षे 7.5 मीटर (माईन बाउचरी) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा। बैंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 12 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्रांतर रथापित नहीं है। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिङ्काव किया जाता है। वर्षवार प्रस्तावित उत्थनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (घनमीटर)	वर्ष	प्रस्तावित उत्थनन (घनमीटर)
प्रथम	750	पहला	750
द्वितीय	750	सप्तम	750
तृतीय	750	अष्टम	750
चतुर्थ	750	नवम	750
पंचम	750	दशम	750

12. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 4.16 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति ग्राम पंचायत द्वारा टैकर एवं बोर्डेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र एवं सेन्ट्रल ग्राउण्ड बॉर्ड अधीक्षित की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

13. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 201 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। वर्तमान में 100 नग वृक्षारोपण किया जा चुका है। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार शेष 101 नग वृक्षारोपण के लिए राशि 1,010 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 40,000 रुपये, खाद के लिए राशि 10,050 रुपये, सिंचाई एवं रथ-रखाव के लिए राशि 1,30,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 1,81,060 रुपये तथा कुल राशि 5,60,200 रुपये आगामी 4 वर्षी हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है।

14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्थनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 2,020 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 560 वर्गमीटर हेत्र 4.5 मीटर की गहराई तक उत्थनित है। जिसका उल्लेख बयानी प्लान में किया गया है। प्रतिविधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्थनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के प्रिस्ट्रॉनियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

15. कार्यालय कलेक्टर (खणिज शाखा) जिला-महासमुद्र के ज्ञापन दिनांक 10/03/2022 द्वारा जारी 200 मीटर के प्रभाग पत्र में राजिम पोखरा महासमुद्र मार्ग 40 मीटर दूर है। समिति का मत है कि राजिम पोखरा महासमुद्र मार्ग से कम से कम 50 मीटर क्षेत्र को गैर मार्फतिंग क्षेत्र रखते हुये संशोधित अनुमोदित मार्फतिंग प्लान प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. सुलभेत्यर्थीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नीन कौल माइमिंग प्रोजेक्टस हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (1) के अनुसार-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तों के अनुसार माईन लीज शेत्र के अंदर 7.5 मीटर घौड़े सेफ्टी जोन में सुखारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्ची उपरांत निम्नानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
7.31	2%	0.146	Following activities at, Govt. Middle School Village- Lafinkurd	
			Running water arrangement in Toilet	
			Water tank (1000 liter capacity)	0.15
			Pipeline sanitary ware & installation	
			Total	0.15

18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तापित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का राहगति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक के हाता बताया गया कि 708 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाचपड़ी) क्षेत्र में फैलाकर कृषारोपण के लिए उपयोग किये जाने सुपरींत शेष ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के भीतर या लीज क्षेत्र के बाहर भग्नारित कर संश्लिष्ट किया जाएगा। समिति का भल है कि उक्त के संदर्भ में स्थिति स्पष्ट किया जाना आवश्यक है।

20. उपरी मिट्टी को लौज क्षेत्र के बाहर भेड़ारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का अन्यत्र उपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये

जाने एवं इस गिट्टी का उपयोग पुनःभराव में किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।

21. पश्चात्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के अंदर साधन यूकारोपण किये जाने एवं दोमित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर साधन यूकारोपण किये जाने एवं दोमित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
23. उत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के अंदर साधन यूकारोपण किये जाने एवं दोमित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के अंदर साधन यूकारोपण किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना/खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विभार उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. एवं कृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिबंदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाए।
2. विगत वर्षों में किए गए उत्तरानन की वारस्ताविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाए।
3. ऊपरी गिट्टी प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाए।
4. राजिम पोखरा महासंमुद भाग से कम से कम 50 मीटर क्षेत्र को गैर माईनिंग क्षेत्र रखते हुये संशोधित अनुनीदित माईनिंग खदान प्रस्तुत किया जाए।
5. माईन लीज क्षेत्र के बारों और 7.5 मीटर चौड़े सेप्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्तरानन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्षेत्र के बीच उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा यूकारोपण आदि के लिये समुचित उपायों वाले संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रायती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (उत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
6. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्तरानन पाये जाने पर निम्नानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी

तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संख्या मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।

उपरोक्त घोषित जानकारी/दस्तावेज प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक वो तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही संघालक, संघालनालय, भौगोलिक तथा खनिकर्म, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संख्या मंडल, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर को पत्र लेख किया जाए।

2. मेसर्स चंबरदाल लाईन माईन (प्रो.—श्री राहुल औसवाल), ग्राम—चंबरदाल, तहसील व ज़िला—राजनांदगांव (संधिवालय का नम्बरी क्रमांक 1438)

ऑनलाईन आवेदन — पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 180630/2020, दिनांक 26/10/2020 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईए/ 81635/ 2020, दिनांक 10/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईल ईआईए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रवताव का विवरण — यह पूर्व से संभालित दूना परधर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—चंबरदाल, तहसील व ज़िला—राजनांदगांव, खसरा क्रमांक 568/1 एवं 568, कुल क्षेत्रफल—1.125 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थानन क्षमता—6,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 01/06/2021 द्वारा प्रकरण श्री। केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2016 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टर्मी ऑफ रिकॉर्ड (टीओआर) फौर ईआईए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिक्वायरमेंट बलीयरेस अण्डर ईआईए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टीओआर, जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 438वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री राहुल औसवाल, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स वी एच एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जायाचुद्दीन चृपरिष्ठत हुए। समिति द्वारा नसीरी, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

- प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि द्वारा ईआईए. रिपोर्ट मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एचडी कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इण्डियन माईन प्लानर एचडी कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता घटती की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स वी एच एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत

परियोजना प्रस्तावक द्वारा अप्पडटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। उत्तराधात् मेसर्सी पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं साल्यापित (Analyzed and verified) कर फाइनल ईआईए रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व मेसर्सी पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- I. पूर्व में चूना पत्थर खदान खसरा छमांक 566 / 1 एवं 568, कुल क्षेत्रफल - 1.125 हेक्टेयर, क्षमता - 6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात् निर्धारित प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10 / 01 / 2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31 / 03 / 2020 तक वैध थी।
- II. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी फोटोग्राफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। सभिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायी परिवर्तन बोर्ड, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- III. निर्धारित शर्तानुसार वृक्षाशेषण नहीं किया गया है।
- IV. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन वर्षी वास्तविक मात्रा की जानकारी उत्खनन मात्रा की इकाई (Unit) का सम्बन्धेश कर अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन एवं क्षेत्र स्थापना के संबंध में ग्राम पंचायत बरबरापुर का दिनांक 10 / 12 / 2007 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना — नॉडिलाईल क्षारी प्लान (एलॉग विश्व हन्कायरीमेंट मेनेजमेंट प्लान एण्ड क्षारी लॉजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संचालक (ख.प्र.) संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन नं. 2215 / ख.नि 02 / मा.प्ल.अनुमोदन / न.अ.05 / 2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 29 / 04 / 2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन छमांक 238 / ख.लि. 01 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 27 / 01 / 2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 6 खदानों क्षेत्रफल 8.768 हेक्टेयर है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन छमांक 2637 / ख.लि. 02 / 2019 राजनांदगांव, दिनांक 24 / 10 / 2019 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर गरिजद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
7. लीज का विवरण — पूर्व में लीज रव. शीमती पुष्पलता ओसवाल के नाम पर थी, जो 5 वर्षों अर्थात् दिनांक 02 / 05 / 2008 से 01 / 05 / 2013 तक जारी की गई।

थी। लीज का प्रथम नवीनीकरण दिनांक 02/05/2013 से 01/05/2018 तक की अवधि हेतु किया गया। रात्पश्चात् लीज छोड़ 20 वर्षों अर्थात् दिनांक 02/05/2018 से 01/05/2038 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है। कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), ज़िला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1058/ख. लि. 02/2021 राजनांदगांव, दिनांक 06/05/2021 द्वारा जारी पत्र अनुसार स्व. श्रीमती पुष्पलता ओसवाल के नाम पर जारी स्वीकृत उत्खनि पट्टा का हस्तांतरण, उनकी मृत्यु होने के कारण शेष अवधि हेतु श्री राहुल ओसवाल के नाम पर किया गया है।

8. भू-स्वामित्व – पूर्व में भूमि स्व. श्रीमती पुष्पलता ओसवाल के नाम पर थी। बत्तमान में भू-स्वामी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमण्डल अधिकारी, राजनांदगांव बनमण्डल, ज़िला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्र./मा.वि./न.क्र. 10-1/2021/2014 राजनांदगांव, दिनांक 02/03/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र नियन्त्रण बन क्षेत्र से 3.9 कि.मी. की दूरी पर है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—देवडोगर 210 मीटर, स्कूल ग्राम—देवडोगर 210 मीटर एवं अस्पताल राजनांदगांव 13 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 3.75 कि.मी. दूर है।
12. पारिस्थितिकीय/जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्जीय सीमा, राष्ट्रीय चालान, अभयारण्य, कोन्फ्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,89,375 टन, माईनिंगल रिजर्व 2,11,545 टन एवं रिक्लूरेशन रिजर्व 1,42,478 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिविधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,107 वर्गमीटर है। औपन बमस्ट सोनीमेकेनाईज़ विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 28 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 1 मीटर है, जिसका उत्खनन किया जा चुका है। बैंध की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान वर्षी संभावित आयु 25 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्षार स्थापित नहीं है। जैक हेमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	6,000
द्वितीय	6,000
तृतीय	6,000
चतुर्थ	6,000
पंचम	6,000

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से किया जाना बताया गया है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अर्थोरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 657 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत नियमानुसार कार्य प्रस्तावित है।

विवरण	प्रथम (लपवे)	द्वितीय (लपवे)	तृतीय (लपवे)	चतुर्थ (लपवे)	पंचम (लपवे)
खदान के बाहरी में (657 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	49,932	5,016	5,016	5,016
	फॉसिंग हेतु राशि	1,27,900	—	—	—
	खाद हेतु राशि	4,920	510	510	510
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
	कुल राशि = 13,34,856	4,48,752	2,21,526	2,21,526	2,21,526

16. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,107 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से पश्चिम दिशा में 862.5 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, उत्तर दिशा में 637.5 वर्गमीटर क्षेत्र 5 मीटर की गहराई तक तथा दक्षिण दिशा में 390 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है जिसका उल्लेख अनुमोदित मॉडिफाईड वर्डोंसी प्लान में किया गया है। प्रतिवधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

17. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेफ्टी जोन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

18. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :—

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी – मॉनिटरिंग कार्य नार्य से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परियोजनीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर घ्वनि स्तर मापन, 10 स्थानों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₂, का सान्दर्भ लेखल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.87	55.56	60
PM ₁₀	46.64	68.23	100
SO ₂	8.54	15.48	80
NO ₂	10.84	21.09	80

- iii. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेक्स अनुसार कलोराइड्स, नाइट्रोइड्स, सल्फर, कार्बनेट्स, लेड, आर्सेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्दर्भ स्थेल मार्तीय मानक से कम है।
- iv. परिवेशीय स्थिति स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

- v. पी.सी.यू. की गणना:- मार्च वाहनों / मल्टीएक्शल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं क्ली/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं क्ली/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी रो-गटेरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन ड्रॉ सङ्कर मार्ग की सोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है। समिति का मत है कि

- vi. जी.एल.सी. की गणना -

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) at core area	Calculated GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	Overall Activities control ROM	65.21	13.0	78.21	100
2.	ROM Blasting		2.2	67.41	

19. लोक सुनवाई दिनांक 21/04/2022 प्रातः 12:00 बजे स्थान - याम पंचायत भवन, याम-चंवरझाल, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा शायपुर अटल नगर, जिला-शायपुर के पत्र दिनांक 26/05/2022 द्वारा प्रेषित किया गया है।

20. जनसूनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- I. पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाव के लिए यूक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानों के कपालों, मनुष्यों एवं जीव-जन्माऊं पर दुरा असर पड़ रहा है।
- II. ब्लास्टिंग के समय झंडा लगाकर संकेत किया जाए। खदान में और ब्लास्टिंग होने से आसपास के घरों में एवं पहाड़ पर रिक्त मंदिर में दरारे आ रही हैं।
- III. खदान के चारों ओर कांटेदार पेड़ लगाया जाए अथवा लोहे के तार द्वारा धैश कराया जाए, जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।
- IV. खदान से उत्पादित गिट्टी पत्थर को घरस्ता में रख दिया जाता है, जिससे घरस्ता ही बंद हो जाता है।

लोक सूनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न गुदों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपरिक्त प्रतिनिधि/कंसलटेंट का कार्यन निम्नानुसार है:-

- I. धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिक्काव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे यूक्षारोपण किया जाएगा, जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।
- II. अनुभवी कॉटेक्टर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर लगाकर एवं झंडा लगाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।
- III. लीज होट के चारों ओर पौधे लगाये जाएंगे, बाउण्ड्री के चारों ओर फैसिंग कराई गई थी जिसका संधारण कराया जाएगा।
- IV. खदान से उत्पादित गिट्टी एवं पत्थर का रखाव लीज होट में किया जाएगा।

21. कलस्टर हेतु कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि वर्तमान में आवेदित खदान को शामिल करते हुये कलस्टर में युल 5 खदाने आती है। अतः कलस्टर में शामिल खदानों द्वारा यांत्रन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
2 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (1,334 मग) यूक्षारोपण	यूक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि फैसिंग हेतु राशि खाद हेतु राशि सिंचाई एवं	1,01,384 10,67,200 10,050 6,32,000	10,184 — 1,020 4,32,000	10,184 — 1,020 4,32,000	10,184 — 1,020 4,32,000

हेतु	रख-रखाव राशि					
कुल राशि = 35,83,450	18,10,634	4,43,204	4,43,204	4,43,204	4,43,204	4,43,204

कौंमन इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी—

विवरण		प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
304 मीटर मार्ग के दोनों ओर (203 नग) बूँदारोपण हेतु	बूँदारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	15,428	1,596	1,596	1,596	1,596
	फॉसिंग हेतु राशि	1,62,400	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,530	180	180	180	180
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	1,15,640	65,640	65,640	65,640	65,640
कुल राशि = 5,64,662		2,94,998	67,416	67,416	67,416	67,416

22. भारत सरकार, पर्यावरण, धन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्षयानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बलस्टर हेतु कौंमन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बलस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बलस्टर में आने वाले खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु बलस्टर में आने वाली शेष समस्त खदानों को शामिल करते हुये, बलस्टर हेतु कौंमन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कड़ाई से लियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला — रायपुर (अल्टीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरात निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
51		1.02	Following activities at, Village- Chawardhal	
Pavitra Van			11.71	

		Nirman	Total	11.71
--	--	--------	-------	-------

24. सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र बन निर्माण' के तहत (आबला, बढ़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 3,040 रुपये, फेंसिंग के लिए राशि 37,300 रुपये, खाद के लिए राशि 300 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 2,66,000 रुपये, इस प्रकार प्रधम वर्ष में कुल राशि 3,06,640 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,336 रुपये हेतु घटकचार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र बन हेतु ग्राम पंचायत चबरदाल के सहभागी उपरांत यथायोग्य रखान (खसरा क्रमांक 391/1, क्षेत्रफल 95.541 हेक्टेयर में से 30 डिस्ट्रिक्ट) के संकेत में जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र बन निर्माण' के तहत 40 नग पौधों के लिए राशि 11.71 लाख रुपये वर्ष किया जाना बताया गया है जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। समिति का भत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत 'पवित्र बन निर्माण' के तहत 250 नग पौधों के रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सधन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईबल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत ल्यानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राथमिकता दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. खदान में पथर उल्लंघन हेतु कम तीव्रता युक्त ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विशेषज्ञ (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. माईनिंग लीज क्षेत्र में खनिज नियमों के अनुकूल सीमांकन करकर खदान की सीमा में नियमानुसार संतुष्ट रखापित कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. कॉमन इन्हायरर्सेटल मेनेजरेट के तहत तथ की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संकेत में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है इस बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना का.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित न होने के बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
32. जनसुनवाई के दौरान विभिन्न बुद्धों के निराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्रामीणों के सम्मान दिये गये आश्वासन को पूरा करने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

33. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. विस्त वर्षों में किये गये उत्कृष्णन की वास्तविक मात्रा की जानकारी उत्कृष्णन मात्रा की इकाई (Unit) का समावेश कर अद्यतन स्थिति में माहवार उत्पादन की जानकारी खनिज विभाग से प्रभागित करकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
35. ओल्डर बर्डर की मात्रा एवं प्रबंधन योजना प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
36. भू-जल उपयोग हेतु सेन्ट्रल ग्राउण्ड बॉटर अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
37. भू-स्थानी संबंधी दस्तावेज प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
38. कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार कर समस्त खदानों को एक नवशो में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही कलस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कौमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध करकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
39. कलस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कौमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अकांक्षा एवं देशांतर सहित नवशो में दर्शाते हुये पुनरीक्षित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
40. प्रस्तुत सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिच वन निर्माण" के तहत 40 नग पौधों के लिए राशि 11.71 लाख रुपये खर्च किया जाना बताया गया है जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "परिच वन निर्माण" के तहत 250 नग पौधों के रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
41. समिति का मत है कि सी.ई.आर. कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सङ्घको के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मैनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु क्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सी.ई.आर. कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सङ्घको के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित क्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
42. माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डे विस्तृत भारत सरकार पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओक्सिजनल एप्लिकेशन नं. 108 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खणि शास्त्रा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 238/ख.लि. 01/2021 राजनांदगांव, दिनांक 27/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 6 खदाने, क्षेत्रफल 8.768 हेक्टेयर हैं। आवेदित खदान (ग्राम—चंद्रहड़ाल) का क्षेत्रफल 1.125 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम—चंद्रहड़ाल) को मिलाकर क्षेत्रफल 9.893 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान थी—1 थेजी की मानी गयी।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
3. माईन लीज क्षेत्र के घारों और 7.5 मीटर चौड़ी सेपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्थनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग क्रियाकलापों के कारण उत्थन प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा वृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत् संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला — रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
4. प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्थनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
5. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्कानी एवं मानवीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार बलस्टर में आने वाली खदानों की उत्थनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने पाले प्रभायों की सोकथाम हेतु बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, बलस्टर हेतु कॉमन इन्डस्ट्रीजेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला — रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
6. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई वाहित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 32 से 40 तक) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने वी शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
7. समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक — मेसर्स चंद्रहड़ाल लाईम स्टोन माईन (प्री.—श्री राहुल औसवाल) की ग्राम—चंद्रहड़ाल, ताहसील व जिला—राजनांदगांव के पाट औंक खसरा क्रमांक 566/1 एवं 568 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—1.125 हेक्टेयर, क्षमता—8,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट—01 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राचिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार,

पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर को पत्र लेख किया जाए

३. मेसर्स चंबरडाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्री समीर पोददार), याम-चंबरडाल, तहसील व ज़िला-राजनांदगांव (संधिवालय का नम्बरी क्रमांक 1297)

ऑनलाईन आवेदन — पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 152653 / 2020, दिनांक 06 / 05 / 2020 द्वारा टीओआर हेतु आवेदन किया गया था। यतीनान में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 81546 / 2021, दिनांक 10 / 08 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने के लिए फाईल ईआईए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संघालित चूना पत्थर (ग्रीष्म खनिज) खदान है। खदान याम-चंबरडाल, तहसील व ज़िला-राजनांदगांव स्थित पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 391 / 1, कुल क्षेत्रफल—1.942 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्तराधिकारी—39,900 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एसईएसी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 26 / 03 / 2021 द्वारा प्रकरण 'बी१' कंटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैम्पडर्ड टर्म्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फौर ईआईए. /ई.एम.पी. रिपोर्ट फौर प्रोजेक्ट्स / एवटीविटीज रिक्वायरमेंट बलीयरेंस अपडार ईआईए. नोटिफिकेशन, 2006 में घर्जित थेणी १(ए) का स्टैम्पडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टीओआर जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एसईएसी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सुधित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री समीर पोददार, प्रोप्राइटर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तराखण्ड की ओर से श्री हुसैन जयाउददीन उपरिवित हुए। समिति द्वारा नस्ती प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई—

- प्रस्तुतीकरण के दीर्घन परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ईआईए. ए. रिपोर्ट मेसर्स इपिड्यन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। मेसर्स इपिड्यन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असमर्पित व्यक्ति की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तराखण्ड को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अचलरेटिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तराखण्ड द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर काईनल ईआईए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तराधायित्य मेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

- पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में नूना पत्थर खदान पाट औंक खासरा क्रमांक 391/1, कुल क्षेत्रफल-1.942 हेक्टेयर, कमता-39,900 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, जिला-राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 09/03/2017 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।
 - ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी कोटोशाफ्स सहित प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत स्तरीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
 - iii. निर्धारित रातनुसार युक्तिपूर्ण नहीं किया गया है।
 - iv. विगत वर्षों में किये गये उत्खनन वर्षीय वास्तविक मात्रा वरि जानकारी अद्यतन स्थिति में खगिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत बरबसपुर का दिनांक 18/11/2006 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
 4. उत्खनन योजना – माइनिंग प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो उप-संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म अटल नगर नवा रायपुर के झापन क्रमांक 4322/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्ल.05/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 27/10/2020 द्वारा अनुमोदित है।
 5. 500 बीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक 1860/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 बीटर के भीतर 4 खदाने, क्षेत्रफल 5.384 हेक्टेयर हैं।
 6. 200 बीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक छोड़/सारंचनाए – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के झापन क्रमांक 266/ख.लि. 03/2020 राजनांदगांव, दिनांक 30/01/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 बीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक छोड़ जैसे नदिर मसिजिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित छोड़ निर्मित नहीं हैं।
 7. लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज श्री समीर पोदवार के नाम पर है। लीज छोड 5 वर्षी अर्थात् दिनांक 15/06/2012 से 14/06/2017 तक की अवधि हेतु वैध थी। तत्पश्चात लीज छोड 15 वर्षी अर्थात् दिनांक 15/06/2017 से 14/06/2032 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई है।
 8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
 9. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बन मण्डल अधिकारी, सामान्य बन मण्डल राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव के झापन क्र./मा.प्ल.

/5-18/6081 राजनांदगांव, दिनांक 13/06/2002 से जारी अनुमति प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम बन क्षेत्र से 8 कि.मी. की दूरी पर है।

10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-चंद्रदाल 470 मीटर, स्कूल ग्राम-चंद्रदाल 420 मीटर एवं अस्पताल राजनांदगांव 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 11.8 कि.मी. एवं राजमार्ग 33 कि.मी. दूर है।

11. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली पौल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 7,23,460 टन, माईनेश्वल रिजर्व 2,87,240 टन एवं रिक्वरेश्वल रिजर्व 2,72,878 है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,900 वर्गमीटर है। औपन कास्ट सीमेकेनाईज्ड विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 25 (including Hilllock, maximum height of 9 meter) मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.5 मीटर है तथा कुल मात्रा 5,730 घनमीटर है जिसका उत्खनन पूर्व में किया जाकर 7.5 मीटर (माईन बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर यूक्सारोपण के लिए उपयोग किया गया है। बेंच की ऊंचाई 1.5 मीटर एवं चौड़ाई 1.5 मीटर है। खदान की संभावित आयु 10 वर्ष है। लीज क्षेत्र में छक्कार तथापित नहीं है। जैक हैमर से फ्रिलिंग एवं कंट्रोल स्लास्टिंग किया जाता है। यर्कार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)	वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	42,000	षष्ठम	28,500
द्वितीय	41,260	सप्तम	21,000
तृतीय	40,750	अष्टम	24,000
चतुर्थ	30,375	नवम	16,375
पंचम	25,500	दशम	18,250

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आपस्यक जल की मात्रा 6 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल बाउण्ड वीटर अधीरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।

14. यूक्सारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चाही और 7.5 मीटर की पट्टी में 1,818 नग यूक्सारोपण किया जाना प्रस्तावित है। परियोजना प्रस्तावक द्वारा लीज क्षेत्र के भीतर पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के तहत निम्नानुसार कार्य प्रस्तावित है:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
खदान के यूक्सारोपण (90 बाउण्डी में प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि (1,818 नग)	प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि 1,38,168	13,832	13,832	13,832	13,832
	फ्रिलिंग हेतु राशि 1,69,600	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि 13,650	1,380	1,380	1,380	1,380

सिवाई एवं रख— रखाव हेतु राशि	2,66,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000	2,16,000
कुल राशि =15,12,266	5,87,418	2,31,212	2,31,212	2,31,212	2,31,212	2,31,212

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन — लीज क्षेत्र के बारों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,900 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से 1,840 वर्गमीटर क्षेत्र उत्खनित है, जिसका उल्लेख अनुमोदित माइनिंग प्लान में किया गया है। प्रतिबंधित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विरुद्ध नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है। समिति यह मत है कि उत्खनित 1,840 वर्गमीटर क्षेत्र की गहराई के अनुसार पुनःभ्राव प्लान बनाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा नॉन कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (j) के अनुसार—

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्त के अनुसार माइन लीज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़े सेपटी जौन में दृश्यरोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

I. जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी — मॉनिटरिंग कार्य मार्च से 15 जून 2021 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 10 स्थानों पर परियोजना वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर भू-जल गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर घ्यानि सतर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर नमूने एकत्रित कर विश्लेषण किया गया है।

II. मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम, एसओ₂, एनओ₃ का सान्दर्भ लेवल—

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.87	55.56	60
PM ₁₀	46.64	68.23	100
SO ₂	8.54	15.48	80
NO ₂	10.84	21.09	80

III. परियोजना स्थल के आसपास जल स्रोतों की गुणवत्ता— ई.आई.ए. की Chapter-3 Description of environment में दर्शायी गये टेबल अनुसार बलोराइड्स, नाइट्रोइड्स, सल्फर, कार्बोनेट्स, लेड, आसेनिक एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्दर्भ लेवल भारतीय मानक से कम है।

iv. परिवेशीय घटनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	48.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / भल्टीएक्सल की वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 12 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तत्पश्चात् कुल 60 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं व्ही/सी अनुपात (V/C ratio) 0.05 होगी। विस्तार के उपरांत भी री-मटेरियल / प्रोडवट्स के परिवहन हेतु सड़क मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना -

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) at core area	Calculated GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
3.	Overall Activities control ROM	65.21	13.0	78.21	100
4.	ROM Blasting		2.2	67.41	

18. लोक सुनवाई दिनांक 21/04/2022 प्रातः 12:00 बजे स्थान - ग्राम पंचायत भवन, खाद्य-चंद्रधाम, तहसील-राजनांदगांव, जिला-राजनांदगांव में संपन्न हुई। लोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य संघिय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्करण मंडल, नवा रायपुर अटल नगर, जिला-रायपुर के पत्र दिनांक 26/05/2022 हारा प्रेषित किया गया है।

19. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पर्यावरण वाले प्रदूषित होने से बचाने के लिए दृक्षारोपण का कार्य किया जाए। खदान से निकलने वाले धूल से किसानी के फसलों, मनुष्यों एवं जीव-जन्तुओं पर बुरा असर पड़ रहा है।
- ब्लास्टिंग के समय झंडा लगाकर संकेत किया जाए। खदान में बीर ब्लास्टिंग होने से आसपास के घरों में एवं पहाड़ पर स्थित मंदिर में दरारे आ रही है।

- iii. खदान के चारों ओर कॉटेंटर पेड़ लगाया जाए अथवा लोहे के तार द्वारा घेरा कराया जाए जिससे ग्रामीणों एवं जानवरों को दुर्घटना से बचाया जा सके।
- iv. खदान से उत्पादित गिट्टी पत्थर को घरस्ता में रख दिया जाता है, जिससे घरस्ता ही बंद हो जाता है।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के विराकरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि/कंसलेट का कथन निम्नानुसार है:-

- घूल उत्सर्जन को रोकने के लिए जल छिपकाव किया जाएगा। खदान के चारों ओर तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा, जिससे घूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा।
- अनुभवी कंसलेटर की निगरानी में ही कंट्रोल्ड ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न रत्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर एवं झंडा लगाकर लोगों को सूचना दी जाएगी।
- लीज होत्र के चारों ओर पौधे लगाये जाएंगे, बाहुण्डी के चारों ओर फॉसिंग कराई गई थी जिसका संवारण कराया जाएगा।
- खदान से उत्पादित गिट्टी एवं पत्थर का रखाव लीज होत्र में किया जाएगा।

20. बलस्टर हेतु कौमन इन्डायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान – परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये बलस्टर में कुल 5 खदानें आती हैं। अतः बलस्टर में शामिल खदानों द्वारा कौमन इन्डायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कौमन इन्डायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
2 कि.मी. मार्ग के दोनों तरफ (1,334 मत्र) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,01,384	10,184	10,184	10,184
	फॉसिंग हेतु राशि	10,67,200	—	—	—
	खाद हेतु राशि	10,050	1,020	1,020	1,020
	शिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	6,32,000	4,32,000	4,32,000	4,32,000
कुल राशि = 35,83,450		18,10,634	4,43,204	4,43,204	4,43,204

कौमन इन्डायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
524 मीटर मार्ग के दोनों	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	26,524	2,660	2,660	2,660

तारक (349 नग)	फॉसिंग हेतु राशि	2,79,200	—	—	—	—
दृश्यारोपण हेतु	खाद हेतु राशि	2,610	270	270	270	270
	सिंचाई एवं रख- रखाव हेतु राशि	1,68,310	1,13,310	1,13,310	1,13,310	1,13,310
	कुल राशि = 9,41,604	4,76,644	1,16,240	1,16,240	1,16,240	1,16,240

21. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बलस्टर में शामिल सभी खदानों द्वारा खनन के पर्यावरणीय दृष्टिभावों की रोकथाम हेतु खदानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का मत है कि बलस्टर में आने वाले खदानों की उत्तराधिकारी दृष्टिभावों पर पहने वाले दृष्टिभावों की रोकथाम हेतु बलस्टर में आने वाली हेतु समस्त खदानों को शामिल करते हुये, बलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कम्फाई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौतिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्यवाही किया जाना उचित होगा।

22. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)		
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)	
Following activities at, Village- Chawardhal					
59		1.18			
Pavitra Van Nirman		11.71			
Total			11.71		

23. सी.ई.आर. के अंतर्गत "परियोजना निर्माण" के तहत (आवला, बढ़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) दृश्यारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पीढ़ों के लिए राशि 3,040 रुपये, फॉसिंग के लिए राशि 37,300 रुपये, खाद के लिए राशि 300 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 2,86,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,06,640 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,65,336 रुपये हेतु प्रत्येक वर्ष याय रा प्रियरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत परियोजना हेतु आम पंचायत चबैरडाल के सहभागि उपरांत यथायोग्य स्थान (खसरा क्रमांक 391/1, क्षेत्रफल 95.841 हेक्टेयर में से 30 हिस्समिल) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है। प्रस्तुत सी.ई.आर. के अंतर्गत "परियोजना निर्माण" के तहत 40 नग पीढ़ों के लिए राशि 11.71 लाख रुपये खर्च किया

जाना बताया गया है जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। सभिति का मत है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत "पवित्र वन निर्माण" के तहत 250 नग पौधों के रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

24. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन बुकारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाइवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु शापथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
25. उत्तीर्णासगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राधिकृति दिये जाने हेतु शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. खदान में पल्बर उत्थानन हेतु कम तीव्रता युक्त ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग विहोषक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. माईनिंग लीज क्षेत्र में खनिज नियमों के अनुसंधान कराकर खदान की सीमा में नियमानुसार स्तंभ स्थापित कराये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट के तहत तथ की गई राशि का उपयोग पर्यावरण के हित में किये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में विस्तीर्णी भी प्रकार वी कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है इस बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
30. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना का आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित न होने के बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
31. एकीकृत क्षेत्रीय कर्यालय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
32. विगत वर्षी में किये गये उत्थानन की वारतविक मात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित कराकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
33. उत्थानित 1,840 वर्गमीटर क्षेत्र की गहराई के अनुसार पुनर्भवाय प्लान बनाकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. कलस्टर हेतु कॉमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान ऐयार कर समस्त खदानों को एक नक्शे में प्रदर्शित करते हुये जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है। साथ ही कलस्टर में आने वाले समस्त खदानों द्वारा कॉमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान के तहत किये जाने वाले कार्यों हेतु अनुबंध कराकर जानकारी प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
35. कलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को लिए ऐयार कॉमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अलांकृत एवं देशांतर सहित नक्शे में दर्शाते हुये पुनर्लेखित कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

36. समिति का मत है कि सीईआर, कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं दृक्षारोपण कार्य के मौनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोफराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या उत्तीर्णगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाना आवश्यक है। साथ ही सीईआर, कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कॉमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं दृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाना आवश्यक है।
37. प्रस्तुत सीईआर के अंतर्गत 'परित्र बन निर्माण' के तहत 40 नग पीधों के लिए राशि 11.71 लाख रुपये खर्च किया जाना बताया गया है जो कि तर्क संगत प्रतीत नहीं होता है। समिति का मत है कि सीईआर के अंतर्गत 'परित्र बन निर्माण' के तहत 250 नग पीधों के रोपण हेतु संशोधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
38. माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजिनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2018 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्देशित किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 as per with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.
- समिति द्वारा विचार विमर्श संपर्क सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-
1. कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन नं.मांक 1860/ख.लि.02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 21/10/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की भीतर 4 खदानों क्षेत्रफल 5.384 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (याम-चंबरदाल) का क्षेत्रफल 1.942 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (याम-चंबरदाल) को मिलाकर क्षेत्रफल 7.326 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान वी-1 श्रेणी की मानी गयी।
 2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से नंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
 3. नाईन लीज क्षेत्र के घारों ओर 7.5 मीटर ढीड़े सेपटी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईनिंग कियाकलापों के बनावण उत्पन्न प्रदूषण के नियन्त्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा दृक्षारोपण आदि के लिये समुचित उपायों बाबत संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (उत्तीर्णगढ़) को पत्र लेख किया जाए।

- प्रतिवर्षित 7.5 मीटर बौद्धी सौमा पट्टी में अवैध उत्थनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्थान मंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी हुआई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्षयानों एवं माननीय इन जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार बलस्टर में आने वाली खदानों की उत्थनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की रोकथान हेतु बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, बलस्टर हेतु बोनन इन्हायरोमेट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा क्रियान्वित करने हेतु संचालक, संचालनालय, भौगोलिकी तथा खनिकर्म, हुदाकर्ती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला – रायपुर (छत्तीसगढ़) के सतर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।
- एस.इ.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान याही गई वाहित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 31 से 37 तक) को एस.इ.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
- सामिल द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से आवेदक – मेसर्स चंद्रकाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्री समीर पोददार) की ग्राम—चंद्रकाल, तहसील व जिला—राजनांदगांव के पाठौं ओफ खसरा क्रमांक 391/1 में स्थित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल—1.942 हेक्टेयर, क्षमता—39,900 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट—02 में वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राप्तिकरण (एस.इ.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर पत्र लेख किया जाए।

- गेसर्स श्रीमती सुमन सिंह (बलदेवपुर लाईम स्टोन व्हारी), ग्राम—बलदेवपुर तहसील—खौरागढ़, जिला—राजनांदगांव (संचिवालय का नस्ती क्रमांक 1284) ओनलाईन आवेदन — पूर्व में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 151413/2020, दिनांक 12/04/2020 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया था। वर्तमान में प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 72381/2021, दिनांक 08/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्त करने के लिए काईनल हुआई.ए. रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित चूना पत्थर (गौण खनिज) खदान है। ग्राम—बलदेवपुर, तहसील—खौरागढ़, जिला—राजनांदगांव स्थित पाठौं ओफ खसरा क्रमांक 867, कुल क्षेत्रफल—0.85 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित उत्थनन क्षमता—10,000 टन प्रतिवर्ष है।

पूर्व में एस.इ.ए.सी. छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 12/04/2021 द्वारा प्रकल्प 'बी1' के टेम्परी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन

मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टन्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर ई.आई.ए./ई.एम.पी. रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज रिकवायरिंग इन्वायरमेंट बलीवरेस अण्डर ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 में वर्तित श्रेणी 1(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) हेतु टी.ओ.आर. जारी किया गया है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी. उत्तीकरण के ज्ञापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री देवाशीष, अधिकृत प्रतिनिधि एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में नेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश की ओर से श्री हुसैन जयाचूदीन उपस्थित हुए। समिति द्वारा नहीं, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धति पाई गई—

1. प्रस्तुतीकरण को दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि ड्राफ्ट ई.आई.ए. रिपोर्ट नेसर्स इन्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट, कोलकाता द्वारा तैयार किया गया था। नेसर्स इन्डियन माईन प्लानर एण्ड कन्सलटेंट द्वारा अपरिहार्य कारणों से आवेदित प्रकरण की पर्यावरणीय स्थीकृति प्राप्ति हेतु आगामी कार्यवाही को जारी रखने में असक्षमता व्यक्त की गई। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा नेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश को नियुक्त किया गया। इस बाबत परियोजना प्रस्तावक द्वारा अण्डरटेकिंग (Undertaking) प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात् नेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन, नोएडा, उत्तरप्रदेश द्वारा विश्लेषण एवं सत्यापित (Analyzed and verified) कर कर्तव्यान्वयन ई.आई.ए. रिपोर्ट का प्रस्तुतीकरण किया गया। आवेदित प्रकरण से संबंधित समस्त तथ्यों का उत्तरदायित्व नेसर्स पी एण्ड एम सॉल्युशन का होना बताया गया।

2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण—

- i. पूर्व में खूना पत्थर खदान पार्ट ऑफ खदान क्रमांक 867, कुल क्षेत्रफल—0.850 हेक्टेयर, आवेदित उत्थनन क्षमता—10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाचार निवारण प्राविकरण, जिला—राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति दिनांक 09 / 03 / 2017 की जारी की गई। यह स्थीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31 / 03 / 2020 तक वैध थी।
- ii. परियोजना प्रस्तावक द्वारा पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति के शर्तों के पालन में की गई कार्यवाही की जानकारी प्रस्तुत की गई है। समिति का मत है कि परियोजना प्रस्तावक द्वारा एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- iii. निवारित शर्तानुसार वृक्षारोपण नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 590 / ख.लि. 01 / 2021 राजनांदगांव, दिनांक 27 / 02 / 2021 द्वारा विगत वर्ष में किये गये उत्थनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (टन)	वर्ष	उत्पादन (टन)
2009–2010	636	2015–2016	निरक
2010–2011	1,714	2016–2017	निरक
2011–2012	112	2017–2018	5,209
2012–2013	123	2018–2019	6,120
2013–2014	602	2019–2020	1,630
2014–2015	472	2020–2021	निरक (दिसम्बर 2020 तक)

प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्ताव द्वारा बताया गया कि विंगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी हेतु खनिज विभाग, जिला-राजनांदगांव को दिनांक 10/10/2022 को पत्र लेख किया गया है। समिति का मत है कि विंगत वर्षों में किए गए उत्खनन की वास्तविक मात्रा की जानकारी अद्यतन रिपोर्ट में खनिज विभाग से प्रमाणित करकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

3. शाम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में शाम पंचायत बलदेवपुर का दिनांक 13/02/2009 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना – भौद्धिकार्ड खदारी प्लान (एलांग विथ इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान एप्ल क्यारी क्लौजर प्लान) प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त-संधालक (ख.प्र.) संधालनालय, भौद्धिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्र. 1804/खनि 02/मा.प्ल.अनुमोदन/न.क्र. 05/2019(3) नवा रायपुर, दिनांक 13/04/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में रिप्टर खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 172/ख.लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/01/2021 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 12 खदानें, क्षेत्रफल 11.822 हेक्टेयर हैं। प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्ताव द्वारा बताया गया कि अद्यतन रिपोर्ट में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अविश्वसनीय अन्य खदानों संबंधी जानकारी हेतु खनिज विभाग, जिला-राजनांदगांव को दिनांक 10/10/2022 को पत्र लेख किया गया है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ – कार्यालय कलेक्टर (खनि शाखा), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 6247/ख.लि. 02/2020 राजनांदगांव, दिनांक 22/12/2020 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में लोही भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर मस्जिद, मरघट, अस्पताल, स्कूल, पुल, बांध, एनीकट एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
7. भूमि एवं लीज का विवरण – यह शासकीय भूमि है। लीज ढीड़ श्रीमती सुमन सिंह के नाम पर है। पूर्व में लीज ढीड़ 06 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2009 से 17/08/2014 तक वैध थी। तत्पश्चात् लीज ढीड़ 25 वर्षों अर्थात् दिनांक 18/08/2014 से 17/08/2039 तक की अवधि हेतु विस्तारित की गई थी।
8. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।

9. वन विभाग का अनापलित प्रमाण पत्र – कार्यालय वनमण्डलविधिकारी, वनमण्डल खैरागढ़, जिला-राजनांदगाव के झापन क्रमांक/मा.वि./न.क्र. 25/1724 खैरागढ़, दिनांक 02/06/2020 से जारी अनापलित प्रमाण पत्र अनुसार आवेदित क्षेत्र निकटतम वन क्षेत्र से 5.10 कि.मी. की दूरी पर है।
10. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम-बल्देवपुर 1.5 कि.मी., स्वृत ग्राम-बल्देवपुर 1.5 कि.मी. एवं असाताल खैरागढ़ 7.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग 29 कि.मी. एवं राजमार्ग 2.8 कि.मी. दूर है। तालाब 1.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11. पारिस्थितिकीय/जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक छाता 10 कि.मी. की परियोजने में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड छाता घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया गया है।
12. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,18,750 टन, माईनिंगस रिजर्व 96,345 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 75,742 टन है। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 4,109 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सीमीमेकेनाईज़ विधि से उत्खनन किया जाता है। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 16 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी निटटी की नोटाई 1 मीटर है, जिसका उत्खनन पूर्व में किया जा चुका है। बैच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आग्ने 8 वर्ष है। लीज क्षेत्र में काशार स्थापित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिलिंग एवं कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाता है। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	10,000
द्वितीय	10,000
तृतीय	10,000
चतुर्थ	10,000
पंचम	10,000

13. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 3 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अर्थारिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
14. युक्तारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 548 नग युक्तारोपण किया जाएगा। समिति का मत है कि लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में युक्तारोपण हेतु पौधों, कॉसिङ, खाद एवं जिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 6 वर्षों का घटकावार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

15. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी का कुल क्षेत्रफल 4,109 वर्गमीटर क्षेत्र है, जिसमें से उत्तर दिशा में 496 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, पश्चिम दिशा में 427.5 वर्गमीटर क्षेत्र 4 मीटर की गहराई तक, पूर्व दिशा में 172.5 वर्गमीटर क्षेत्र 6 मीटर की गहराई तक उत्खनित है। जिसका उल्लेख

अनुमोदित मॉडिपाईल क्वोरी प्लान में किया गया है। प्रतिशेषित 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी में अपैष उत्खनन किया जाना पाये जाने पर परियोजना प्रस्तावक के विलक्ष नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किया जाना आवश्यक है।

16. उल्लेखनीय है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली हासा नीन कोल माईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु मानक पर्यावरणीय शर्तें जारी की गई हैं। शर्त क्रमांक VIII (i) के अनुसार:-

"The Project Proponent shall develop greenbelt in 7.5m wide safety zone all along the mine lease boundary as per the guidelines of CPCB in order to arrest pollution emanating from mining operations within the lease. The whole green belt shall be developed within first 5 years starting from windward side of the active mining area. The development of greenbelt shall be governed as per the EC granted by the Ministry irrespective of the stipulation made in approved mine plan."

उक्त मानक शर्तें के अनुसार नाईन लोज क्षेत्र के अंदर 7.5 मीटर चौड़ी सेफ्टी जौन में वृक्षारोपण किया जाना आवश्यक है।

17. ई.आई.ए. रिपोर्ट का विश्लेषण :-

- जल एवं वायु आदि गुणवत्ता संबंधी जानकारी - मॉनिटरिंग कार्य अक्टूबर 2020 से दिसम्बर 2020 के मध्य किया गया है। 10 किलोमीटर के अंतर्गत 11 स्थानों पर परिवेशीय वायु गुणवत्ता मापन, 10 स्थानों पर जल गुणवत्ता मापन, 11 स्थानों पर छवनि स्तर मापन, 10 स्थलों पर सतही जल गुणवत्ता तथा 6 स्थानों पर मिट्टी के नमूने एकाग्रित कर विश्लेषण किया गया है।
- मॉनिटरिंग परिणामों के अनुसार पीएम. एसओ., एनओ., का सान्दरण लेवल:-

Concentration level ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) of criteria pollutants			
Criteria Pollutants	Minimum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Maximum ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	CPCB Standard ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
PM _{2.5}	25.32	44.77	60
PM ₁₀	47.22	67.15	100
SO ₂	9.03	14.68	80
NO ₂	11.31	20.33	80

- परियोजना स्थल के आसपास जल स्त्रोतों की गुणवत्ता:- ई.आई.ए. के Chapter-3 Description of environment में दर्शाये गये टेबल अनुसार कलोराइड्स, नाइट्रोट्स, सल्फर, कार्बोनेट्स एवं अन्य रसायनिक तत्वों का सान्दरण लेवल भारतीय मानक से कम है।

- परिवेशीय छवनि स्तर:-

Noise level - dB (A)			
Equivalent Noise level	Minimum dB (A)	Maximum dB (A)	CPCB Standard dB (A)
Day L _{eq}	47.89	54.87	75
Night L _{eq}	32.1	46.21	70

जो उक्त क्षेत्र के निर्धारित मानक स्तर से कम है।

v. पी.सी.यू. की गणना:- भारी वाहनों / मल्टीएक्साल हैवी वाहनों को समाहित करते हुये ट्रैफिक अच्युतन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है, जिसके अनुसार वर्तमान में 48 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं छी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.043 है। प्रस्तावित परियोजना उपरांत 3 पी.सी.यू. की वृद्धि होगी। तात्पश्चात् कुल 51 पी.सी.यू. प्रतिघंटा एवं छी/सी अनुपात (V/C ratio) 0.04 होगी। विस्तार के उपरांत भी शै-मटरियल / प्रोडक्ट्स के परिवहन हेतु सहक मार्ग की लोड कैरिंग क्षमता निर्धारित मानक (Excellent 0.0-0.2) के भीतर है।

vi. जी.एल.सी. की गणना -

Contributed Concentration Levels Particulate Matter (AMBIENT INCLUDED MINING ACTIVITY) For PM ₁₀					
S. No.	Activity in the mine	Maximum Baseline Concentration GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$) at core area	Calculated GLCs ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Resultant Concentration ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)	Limit (Industrial, Residential, Rural and other area) ($\mu\text{g}/\text{m}^3$)
1.	Overall Activities with control ROM	67.15	11.0	78.15	100
	ROM Blasting		1.1	68.25	

18. सोक सुनवाई दिनांक 15/09/2021 दोपहर 12:00 बजे स्थान - ग्राम पंचायत भवन कलकन्सा, ग्राम-कलकन्सा, तहसील-खीरागढ़, जिला-राजनांदगांव में संपन्न हुई। सोक सुनवाई दस्तावेज सदस्य सचिव, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संस्कार मंडल, नवा सायपुर अठल नगर, जिला-सायपुर के पत्र दिनांक 03/11/2021 द्वारा प्रेषित किया गया है।

19. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को सामिल करते हुये कलस्टर में कुल 14 खदानें आती हैं, जिसमें से वर्तमान में 11 खदानों द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त करने हेतु आवेदन किया गया है एवं शेष खदानों को पूर्व से ही पर्यावरणीय स्वीकृति जारी हो चुकी है। अतः कुल 11 खदानों द्वारा सामूहिक रूप से जनसुनवाई कराया गया है।

20. जनसुनवाई के दौरान मुख्य रूप से निम्न सुझाव/विचार प्रस्तुत किये गये हैं:-

- पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए दृक्षारोपण का कार्य अतिशीघ्र करने की कृपा करें। लौज समाप्त होने के बाद खदान को खुला ही छोड़ देते हैं तो उस खदान के चारों तरफ ताप काटो बत द्वेरा किया जाना चाहिए। पूर्व में खदान में 5-7 जानवर गिर चुके हैं जिनकी मृत्यु हो चुकी है।
- हेवी ब्लास्टिंग से पत्थर के टुकड़े को खेत में खले जाते हैं एवं ब्लास्टिंग के पूर्व किसी प्रकार से सुचना नहीं दी जाती है, जिससे खेत में कार्यरत मजदूर शारीरिक क्षति होती है।

- iii. खदान के धूलने से पूर्व निर्मित बांध समाप्त हो चुके हैं। जिस कारण खेतों में पानी नहीं पहुँच पाता। गांव में सिंचाई हेतु एकमात्र साधन 2 बांध है। खदान होने से बांध कम पानी नहीं रुकता है। नाली बना नहीं है, नाली जो बना हुआ था वो दूट घुका है। दोनों बांध में पानी है। अतः नाली को बनवाने का काम किया जाए।
- iv. प्राथमिकता के आधार पर संबंधित ग्रामों के लोगों वगे ही रोजगार दिया जाना चाहिए। साथ ही ग्राम के निवासियों के लिए स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए।

लोक सुनवाई के दौरान उठाये गये विभिन्न मुद्दों के विवरण की दिशा में परियोजना प्रस्तावक की ओर से उपस्थित प्रतिनिधि / कंसलटेंट का कथन निम्नानुसार है:-

- i. प्रदूषण का मुख्य कारण धूल उत्सर्जन है, जिसे रोकने के लिए पानी का छिड़काव किया जाएगा। खदान के घारों और तथा कच्ची सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जाएगा जिससे धूल का उत्सर्जन कम हो जाएगा। खदान को घारों तरफ से कटीले तारों से धेरा जाएगा जिससे की जानवर खदान में ना गिरे।
- ii. अनुभवी कंट्रोलर की नियन्त्रणी में ही कंट्रोलर ब्लास्टिंग किया जाएगा, ब्लास्टिंग निम्न स्तर पर किया जाना प्रस्तावित है। ब्लास्टिंग के पूर्व हुटर बजाकर लोगों को सुवना दी जाएगी।
- iii. हमारे हारा नालियों का जीर्णहार किया जाएगा तथा खदान में जो पानी भरा हुआ है उसे भी सिंचाई के लिए प्रदान करेंगे।
- iv. शिक्षित बेरोजगारों को योग्यता के आधार पर रोजगार हेतु प्राथमिकता दी जायेगी। ग्रामियों के लिए समय समय पर स्वास्थ्य शिविर लगाया जाएगा।

21. कलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान - परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि आवेदित खदान को शामिल करते हुये कलस्टर में कुल 14 खदानें आती हैं। अतः कलस्टर में शामिल खदानों हारा कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान प्रस्तुत किया गया है। कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के तहत निम्न कार्य प्रस्तावित हैं-

विवरण	प्रथम (रुपये)	द्वितीय (रुपये)	तृतीय (रुपये)	चतुर्थ (रुपये)	पंचम (रुपये)
3.7 कि.मी. पहुँच गार्ड के दोनों तरफ (2.467 नग) वृक्षारोपण हेतु	वृक्षारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	1,98,292	18,772	18,772	18,772
	फॉसिंग हेतु राशि	19,73,600	—	—	—
	खाद हेतु राशि	18,600	1,660	1,660	1,660
	सिंचाई एवं रख-रखाव हेतु राशि	13,64,000	8,64,000	8,64,000	8,64,000
कुल राशि = 70,93,020		35,54,492	8,84,632	8,84,632	8,84,632

कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता निम्नानुसार होगी:-



विवरण		प्रथम (लपये)	द्वितीय (लपये)	तृतीय (लपये)	चतुर्थ (लपये)	पंचम (लपये)
227 नीटर मार्ग के दोनों तरफ (151 नग) सूक्ष्मारोपण हेतु	सूक्ष्मारोपण (90 प्रतिशत जीवन दर) हेतु राशि	11,476	1,140	1,140	1,140	1,140
	फैसिंग हेतु राशि	1,20,800	—	—	—	—
	खाद हेतु राशि	1,140	120	120	120	120
	सिंचाई एवं रख—रखाव हेतु राशि	87,248	62,248	62,248	62,248	62,248
कुल राशि = 4,74,696		2,20,684	63,508	63,508	63,508	63,508

22. भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ईआईए अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार सम्पूर्ण बलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किया जाना आवश्यक है।

समिति का भत है कि बलस्टर में शामिल सभी खादानों द्वारा खानन के पर्यावरणीय दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु खादानों की वित्तीय एवं भौतिक सहभागिता सुनिश्चित किया जाना आवश्यक है।

समिति का भत है कि बलस्टर में आने वाले खादानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों की रोकथाम हेतु बलस्टर में आने वाली शेष तमस्त खदानों को शामिल करते हुये, बलस्टर हेतु कौमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कङ्काई से क्रियान्वित कराये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकार्म, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला — रायपुर (छत्तीसगढ़) के स्तर से उपयुक्त कार्ययाही किया जाना उपरित होगा।

23. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) — परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से चर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है—

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
			Following activities at, Village- Baldevpur	
41	2%	0.82	Pavitra Van Nirman	12.70
			Total	12.70

24. सीईआर के अंतर्गत 'पवित्र बन निर्माण' के राहरा (आंवला, बड़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बैल आदि) सूक्ष्मारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 93,300 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख—रखाव के लिए राशि 2,66,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.

ईआर के तहत परिचय वन हेतु याम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरान्त यथायोग्य स्थान (खसरा रुमांक 787/1, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) के संबंध में जानकारी प्रस्तुत की गई है।

25. बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों के लिए तैयार कोैमन इन्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान हेतु सभी खदानों को अक्षांश एवं देशांतर सहित नवरी में दर्शाते हुये प्रस्तुत किया गया है।
26. माईनिंग लीज क्षेत्र से किसी प्रकार का दृष्टिजल (यदि उत्सर्जन होता है तो) का प्रवाह प्राकृतिक जल स्त्रोत, नदी, नाला, तालाब आदि में नहीं किया जाएगा इस बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक पर प्रस्तावित खदान के संबंध में किसी भी प्रकार की कोई न्यायालयीन प्रकाशन देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लघित नहीं है इस बाबत शापथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
28. परियोजना प्रस्तावक पर भारत सरकार, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अधिसूचना का आ.आ.804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकाशन लघित न होने के बाबत शापथ पत्र (Undertaking) प्रस्तुत किया जाए।
29. एकीकृत क्षेत्रीय कल्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्पीष्टिका पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
30. विगत वर्षों में किए गए उत्थनन की वास्तविक नात्रा की जानकारी अद्यतन स्थिति में खनिज विभाग से प्रमाणित करकर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
31. अद्यतन स्थिति में आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों संबंधी जानकारी हेतु खनिज विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
32. लीज क्षेत्र की तीव्रा में घारी ओर 7.5 मीटर की पट्टी में युक्तारोपण हेतु पौधों, पौसिंग, खाद एवं सिंधार्ड तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों तक घटकावर व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
33. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर साधन युक्तारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरकाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने हेतु शापथ पत्र प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
34. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत रुदानीय लोगों को योग्यता के आधार पर रोजगार में प्राप्तिमिकना दिये जाने हेतु शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
35. खदान में पर्यावरण उत्थनन हेतु एम टीप्पा युक्त ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम. एस. द्वारा अधिकृत एवं पंजीकृत ब्लास्टिंग डिशेप्ल (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
36. माईनिंग लीज क्षेत्र में पर्युजिटिव ड्रेट उत्सर्जन के समस्त बिन्दुओं/स्थानों पर परियोजना प्रस्तावक द्वारा नियमित जल छिङकाव कराये जाने बाबत शापथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

37. माईंग लीज क्षेत्र ने खनिज नियन्त्रण के अनुकूल सीमांकन कराकर खदान की सीमा में नियमानुसार स्थापित कराये जाने वाले शास्त्रीय पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

38. माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बैच, नई दिल्ली द्वारा सत्येन्द्र पाटहेय डिल्ली भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिष्ट किया गया है—

- Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
- If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया—

- कार्यालय कलेक्टर (अधिकारी शास्त्रीय), जिला-राजनांदगांव के ज्ञापन अनुसार 172/ख. लि.03/2021 राजनांदगांव, दिनांक 22/01/2021 को अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर 12 खदानों क्षेत्रफल 11.822 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (घास-बल्टेवपुर) का क्षेत्रफल 0.85 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (घास-बल्टेवपुर) को मिलाकर क्षेत्रफल 12.672 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्वीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक होने के कारण यह खदान बी-1 श्रेणी की मानी गयी।
- एवं गंगा जारी पर्यावरणीय दबीकृति का पालन प्रतिवेदन एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय से मंगाये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- माईंग लीज क्षेत्र की खासी और 7.5 मीटर ऊँडे सेप्टी जोन के कुछ भाग में किये गये उत्खनन के कारण इस क्षेत्र के उपचारी उपायों (Remedial Measures) के संबंध में तथा लीज क्षेत्र के अंदर माईंग कियाकरातापी के कारण उत्पन्न प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपायों यथा कृषकोपयन आदि को किये समुचित उपायों वाले संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म, इंटाकर्टी भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला — रायपुर (छत्तीसगढ़) को पत्र लेख किया जाए।
- प्रतिबंधित 7.5 मीटर ऊँडी सीमा पट्टी में अवैध उत्खनन पाये जाने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकर्म एवं पर्यावरण को क्षति पहुंचाने हेतु छत्तीसगढ़ पर्यावरण सरकार बंडल, नवा रायपुर अटल नगर को आवश्यक कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र लेख किया जाए।
- भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा जारी ई.आई.ए. अधिसूचना, 2006 (यथा संशोधित) के प्राकृतान्त्री एवं माननीय एन.जी.टी. द्वारा जारी आदेश के अनुसार बलस्टर में आने वाली खदानों की उत्खनन गतिविधियों से पर्यावरणीय घटकों पर पड़ने वाले प्रभायों की रोकथाम हेतु बलस्टर में आने वाले समस्त खदानों को शामिल करते हुये, बलस्टर हेतु कौमन हन्द्हायरोमेंट मेनेजमेंट प्लान तैयार किये जाने तथा कियान्वित कराने हेतु

संचालक, संचालनालय, भौमिकी तथा खनिकम्, इंद्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर, जिला - रायपुर (छत्तीसगढ़) के रहर से उपयुक्त कार्यवाही किये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

6. एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ की बैठक में प्रस्तुतीकरण के दौरान चाही गई बाहित जानकारियों/दस्तावेजों/अभिलेखों (सरल क्रमांक 26 से 37 तक) को एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करने की शर्त के अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति की सशर्त अनुशंसा की जाती है।
7. समिति द्वारा दिवार विमर्श उपरान्त सर्वसम्मति से आवेदक - गेसर्स श्रीमती सुमन रिंग (बल्देयपुर लाईम स्टोर क्वारी) की ग्राम-बल्देयपुर, तहसील-खेडगढ़, जिला-राजनांदगांव के पार्ट औफ खसरा क्रमांक 867 में स्थित घूना पत्थर (गौण खनिज) खदान, कुल क्षेत्रफल-0.86 हेक्टेयर, क्षमता-10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु परिशिष्ट-03 ने वर्णित शर्तों के अधीन पर्यावरणीय स्थीकृति दिए जाने की सशर्त अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नवा रायपुर अटल नगर पत्र लेख किया जाए।

5. गेसर्स ईरा विकस अर्थ क्वारी (प्रो.-श्री अभिषेक खड्गधारी), ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव (समिक्षालय का नस्ती क्रमांक 2131) ऑनलाईन आवेदन - प्रयोजन नम्बर - एसआईए/ सीजी/ एमआईएन/ 288964 / 2022, दिनांक 17 / 08 / 2022 द्वारा पर्यावरणीय स्थीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण - यह क्षमता विस्तार का प्रकरण है। यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं ईंट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम-ईरा, तहसील व जिला-राजनांदगांव स्थित खसरा क्रमांक 463, 490(पार्ट), 493(पार्ट), 494(पार्ट), 495 / 2, 496(पार्ट), 482, 484(पार्ट), 476 / 1, 476 / 2, 477, 478, 479, 480, 481, 495 / 1, 495 / 4(पार्ट) एवं 496 / 5(पार्ट), कुल क्षेत्रफल - 2.84 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता-3,200 घनमीटर (32,00,000 नग ईंट) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के द्वापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण -

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकारण हेतु श्री शिवलाल खड्गधारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धति पाइ गई:-

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्थीकृति संबंधी विवरण:-

- i. पूर्व में मिट्टी खदान खसरा क्रमांक 475, 478, 482, 483, 494, 496, 484, 493, 490, 492, 476 / 1, 476 / 2, 495, 479, 480, 481, 477 एवं 489, कुल

लोक्रफल—4,682 हेक्टेयर, आवेदित उत्खनन क्षमता—3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष हेतु जिला स्तरीय पर्यावरण समाधान निवारण प्राधिकरण, जिला—राजनांदगांव द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक 10/11/2016 को जारी की गई। यह स्वीकृति जारी दिनांक से दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी।

- iii. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, भारत सरकार, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, रायपुर से पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति का पालन प्रतिवेदन प्राप्त कर प्रस्तुत नहीं किया गया है।
- iv. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 1971/ख.लि. 02/2022 राजनांदगांव, दिनांक 28/11/2022 द्वारा दिग्दंशी में किये गये उत्खनन की जानकारी निम्नानुसार है—

वर्ष	उत्पादन (घनमीटर)
अप्रैल 2016 से मार्च 2017	1,000
अप्रैल 2017 से मार्च 2018	2,800
अप्रैल 2018 से मार्च 2019	3,000
अप्रैल 2019 से मार्च 2020	3,200
अप्रैल 2020 से मार्च 2021	6,500
अप्रैल 2021 से मार्च 2022	निरक्षा

- iv. समिति के संझान में यह तथ्य आया कि पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता दिनांक 31/03/2020 तक वैध थी। परन्तु परियोजना प्रस्तावक द्वारा वर्ष 2020–21 में भी उत्खनन किया गया है। साथ ही दिग्दंशी में किये गये उत्खनन की प्रस्तुत जानकारी अनुसार क्रमशः छित्रीय वर्ष 2019–20 (अप्रैल 2019 से मार्च 2020) एवं 2020–21 (अप्रैल 2020 से मार्च 2021) में क्रमशः उत्खनन 3,200 घनमीटर एवं 6,500 घनमीटर किया गया है, जो कि जारी पर्यावरणीय स्वीकृति की उत्खनन क्षमता (3,000 घनमीटर प्रतिवर्ष) से अधिक है। अतः यह प्रकरण उल्लंघन की क्षेत्री का है।

समिति का मत है कि भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली के ऑफिस मेमोरेंडम दिनांक 07/07/2021 के अनुसार उल्लंघन के प्रकरणों ई.आई.ए./ई.एम.पी. तैयार किये जाने हेतु टी.ओ.आर. के लिए विहित प्रारूप में ऑनलाइन आवेदन किया जाना आवश्यक है।

समिति द्वारा विचार दिमांक उपरांत सर्वसम्मति से परियोजना प्रस्तावक के आवेदन को डि-लिस्ट / निरस्त किये जाने की अनुशंसा की गई तथा ई.आई.ए. नोटिफिकेशन 2006 (वथा संशोधित) के तहत पालन करते हुए पुनः टी.ओ.आर. हेतु आवेदन करने की अनुशंसा की गई।

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आवलन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तादानुसार सूचित किया जाए।

- 6. भेसर्स ईरा लिक्स अर्थ बचावी (प्रो.—स्वीमति कौशिल्या देवी चक्रधारी), एम—ईरा, तहसील व जिला—राजनांदगांव (सचिवालय का नस्ती क्रमांक 2132)

ऑनलाइन आवेदन — प्रधानमंत्री नम्बर — एस.आई.ए./ सीजी/ एमआईएम/ 288988/2022, दिनांक 17/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह पूर्व से संचालित मिट्टी उत्खनन (गौण खनिज) खदान एवं ईट उत्पादन इकाई है। खदान ग्राम—ईरा, तहसील व ज़िला—राजनांदगांव रिहित खसरा क्रमांक 550 / 1(पाटी), 551(पाटी), 553(पाटी), 554 / 1, 555 / 2(पाटी), 555 / 3, 555 / 4(पाटी), 557 / 1(पाटी), 557 / 2(पाटी) एवं 558 / 2(पाटी), कुल क्षेत्रफल — 2.13 हेक्टेयर में है। खदान की आवेदित मिट्टी उत्खनन क्षमता—1,944 घनमीटर (19,44,000 नग ईट) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठकों का विवरण —

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री शिवलाल चलायारी, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के दौरान एवं पत्र दिनांक 29 / 11 / 2022 द्वारा सूचना दी गयी है कि वाहित जानकारी अपूर्ण होने के कारण से समिति के समझ बैठक में प्रस्तुतीकरण दिया जाना संभव नहीं है। अतः आगामी आयोजित बैठक में समय प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया है।

समिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि परियोजना प्रस्तावक को पूर्व में घासी गई वाहित जानकारी एवं समस्त सुसंगत जानकारी / दस्तावेज सहित प्रस्तुतीकरण दिये जाने हेतु निर्देशित किया जाए।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए।

7. मेसर्स अचोली फर्शी पत्थर माईन (प्रो.—श्री पारसमणी चन्द्राकर) ग्राम—अचोली, तहसील व ज़िला—महासमुद्र (संविवालय का नस्ती क्रमांक 2134)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 82387 / 2022, दिनांक 18 / 08 / 2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित फर्शी पत्थर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—अचोली, तहसील व ज़िला—महासमुद्र रिहित पाटे ऑफ खसरा क्रमांक 1168 / 2, कुल क्षेत्रफल—1.95 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—1,947.5 घनमीटर (4,874 टन) प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 11 / 2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री पारसमणी चन्द्राकर, प्रोप्रोजेक्टर उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न रिहित पाई गई—

1. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण—इस खदान के पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।

2. ग्राम पंचायत का अनापरित प्रमाण पत्र – उत्खनन के संबंध में ग्राम पंचायत अछोली का दिनांक 07/03/2022 का अनापरित प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. उत्खनन योजना – क्षारी प्लान, इन्हायरोमेंट प्लान एवं क्षारी क्लोजर प्लान प्रस्तुत किया गया है, जो संयुक्त संचालक (ख.प्र.), संचालनालय, भीमिकी तथा खनिकर्म, नवा रायपुर अटल नगर के ज्ञापन क्रमांक 3886 / खनि 02 / मा.प्ल.अनुमोदन / न.क्र.02 / 2019(1) नवा रायपुर दिनांक 18/07/2022 द्वारा अनुमोदित है।
4. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 989 / क / खलि / न.क्र. 02 / 2022 महासमुंद, दिनांक 02/08/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवरिधत अन्य खदानों की संख्या 29 खदाने, क्षेत्रफल 23.54 हेक्टेयर है।
5. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र / सांरचनाएं – कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 989 / क / खलि / न.क्र. 02 / 2022 महासमुंद, दिनांक 02/08/2022 के अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र चौके मंदिर, बरघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
6. भूमि एवं एल.ओ.आई. का विवरण – भूमि एवं एल.ओ.आई. श्री पारसपानी घन्दाकर के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक 660 / क / ख.प. / खलि / न.क्र. 02 / 2022 महासमुंद, दिनांक 17/05/2022 द्वारा जारी की गई, जिसकी वैष्ठता जारी दिनांक से 1 वर्ष की अवधि तक है।
7. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
8. उन विभाग का अनापरित प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमंडलाधिकारी, सामान्य बनमंडल, जिला—महासमुंद के ज्ञापन क्रमांक /मा.वि./ 1783 महासमुंद, दिनांक 21/04/2022 से जारी अनापरित प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र उन क्षेत्र से 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
9. महत्वपूर्ण सांरचनाओं की दूरी – निकटतम आवादी ग्राम—अछोली 350 मीटर, स्कूल ग्राम—अछोली 400 मीटर एवं अस्पताल महासमुंद 12.5 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 4.65 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 17.36 कि.मी. दूर है। महानदी 2.2 कि.मी., नीसमी नाला 900 मीटर, तालाब 870 मीटर एवं नहर 500 मीटर दूर स्थित हैं।
10. पारिस्थितिकीय / जीवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित त्रिटिकली पॉल्यूटेड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जीवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
11. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व लगभग 2,80,800 टन, माईनेशल रिजर्व लगभग 1,58,280 टन एवं रिवरहरेशल रिजर्व लगभग 1,50,366 टन हैं। लीज की 7.5 मीटर चौड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के

लिए प्रतिबंधित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 5,925 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट मैनुअल विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 8 मीटर है। लीज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.25 मीटर है तथा कुल मात्रा 3,393.75 घनमीटर है। औहर बर्डन की मोटाई 1.75 मीटर है तथा कुल मात्रा 23,756.25 घनमीटर है। बेच की ऊंचाई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 37 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्षार स्थापित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। ड्रिलिंग व ब्लास्टिंग नहीं किया जाएगा। खदान में बायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिद्रकाव किया जाएगा। यर्बावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (हेक्टेकर्ट)
प्रथम	3,500
द्वितीय	3,990
तृतीय	4,674
चतुर्थ	4,218
पंचम	3,728

12. जल आपूर्ति - परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 7.12 घनमीटर प्रतिदिन होगी। जल की आपूर्ति बोरवेल के माध्यम से की जाएगी। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अपॉर्टिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
 13. यूक्षारोपण कार्य - लीज क्षेत्र की सीमा में बारों और 7.5 मीटर की पट्टी में 591 नग यूक्षारोपण किया जाएगा।
 14. खदान की 7.5 मीटर की चौड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन - लीज क्षेत्र के बारों और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
 15. माननीय एन.जी.टी., प्रिसिपल बेच, नई दिल्ली द्वारा सत्येंद्र पाण्डेय विरुद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली एवं अन्य (ओरिजनल एप्लिकेशन नं. 186 ऑफ 2016 एवं अन्य) में दिनांक 13/09/2018 को पारित आदेश में मुख्य रूप से निम्नानुसार निर्दिशित किया गया है:-
- a) Providing for EIA, EMP and therefore, Public consultation for all areas from 5 to 25 ha. falling under category B-2 at par with category B-1 by SEAC / SEIAA as well as for cluster situation where ever it is not provided.
 - b) If a cluster or an individual lease size exceed 5 ha. EIA / EMP be made applicable in the process of grant of prior environment clearance.

समिति द्वारा विवार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

1. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला-महासमुद्र के ज्ञापन क्रमांक 969 / क / खलि / न.क्र. 02 / 2022 महासमुद्र, दिनांक 02 / 08 / 2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या 29 खदानें, क्षेत्रफल 23.54 हेक्टेयर है। आवेदित खदान (ग्राम-अछोली) का रकबा 1. 96 हेक्टेयर है। इस प्रकार आवेदित खदान (ग्राम-अछोली) को मिलाकर कुल रकबा 25.49 हेक्टेयर है। खदान की सीमा से 500 मीटर की परिधि में स्थीकृत/संचालित खदानों का कुल क्षेत्रफल 5 हेक्टेयर से अधिक का क्षेत्रस्तर निर्भित होने के कारण यह खदान 'बी1' श्रेणी की मानी गयी।

2. समिति द्वारा विचार विभाग उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण 'बी१' कोटेगरी का होने के कारण भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रकाशित स्टैण्डर्ड टम्स ऑफ रिफरेंस (टीओआर) फॉर इआईए /ईएमपी, रिपोर्ट फॉर प्रोजेक्ट्स/एक्टीविटीज रिकवायरिंग इन्डायरमेंट क्लीयरेंस अनुबर इआईए नोटिफिकेशन, 2008 में वर्णित शेणी १(ए) का स्टैण्डर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) नीन कोल भाईनिंग प्रोजेक्ट्स हेतु निम्न अलिरिका टीओआर के साथ जारी किये जाने की अनुशंसा की गई:-

- i. Project proponent shall inform SEIAA & S.E.A.C. Chhattisgarh before commencement of Baseline Data Generation and start of monitoring work for preparation of EIA Study Report.
- ii. Project proponent shall submit the Individual Environment Management Plan and Common Environment Management Plan.
- iii. Project proponent shall submit the top soil & over burden management plan & incorporate the details in the EIA report.
- iv. Project Proponent shall submit an undertaking that the top soil would be stacked at the earmarked place as per proposal submitted and shall use the same in plantation and backfilling of the mined out area.
- v. Project proponent shall submit an affidavit for commitment to the public (Objections/suggestions raised by public) during Public Hearing.
- vi. Project proponent shall ensure that mining lease area to be demarcated by erection of boundary pillars at all corner and area to be fenced.
- vii. Project proponent shall submit an affidavit stating that no harm, no damage and no contamination shall be committed to nearby water bodies.
- viii. EIA study shall be done at minimum 12 no. of stations for data collection considering the pre-dominant wind direction.
- ix. Project proponent shall submit the copy of panchnama and photographs of every monitoring station.
- x. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the mining lease area as per guidelines issued from time to time and particularly in the 7.5 meter safety zone area of minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- xi. The project proponent shall submit an undertaking that there is no court case pending relating to this project before any Court of Law in India.
- xii. The project proponent shall submit an undertaking in the form of an affidavit stating that there is no violation of Notification S.O. 804(E) dated 14/03/2017 issued by Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India and the direction given by Hon'ble Supreme Court of India in the matter of Common Cause vs Union of India order dated 02.08.2017.

- xiii. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राविकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

8. मेसर्स टिरुपति मिनरल्स प्राईवेट लिमिटेड (डॉयरेक्टर— श्री प्रमोद अश्वाल), ग्राम—हथनेवरा, तहसील—चांपा, जिला—जांजगीर—चांपा (साधिवालय का नस्ती क्रमांक 2133)

ऑनलाइन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए/ सीजी/ सीएमआईएन/ 82435 / 2022, दिनांक 18/08/2022 द्वारा टी.ओ.आर हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — परियोजना प्रस्तावक द्वारा ग्राम—हथनेवरा, तहसील—चांपा, जिला—जांजगीर—चांपा स्थित खसारा क्रमांक 497, 502, 506 एवं अन्य 35, कुल क्षेत्रफल—4.616 हेक्टेयर में कोल बौंशरी क्षमता—0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष हेतु आवेदन किया गया है। परियोजना का विनियोग रूपये 22.5 करोड़ होगी।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 436वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री प्रमोद अश्वाल, डॉयरेक्टर एवं पर्यावरण सलाहकार के रूप में मेसर्स पायोनीर इन्वायरो लेबोरेटरी एप्ल कन्सल्टेंट्स प्राईवेट लिमिटेड, हैदराबाद की ओर से श्री महेश्वर रेड्डी उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई—

1. परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुतीकरण के द्वारा बताया गया कि कोल बौंशरी स्थापना हेतु निम्न 3 स्थलों का अध्ययन किया गया—

- I. ग्राम—चांदिया, जियोग्राफिक को—ऑडिनेट $21^{\circ} 26' 58.91''$ N, $81^{\circ} 56' 47.20''$ E
- II. ग्राम—हथनेवरा, जियोग्राफिक को—ऑडिनेट $21^{\circ} 59' 4.26''$ N, $82^{\circ} 41' 43.99''$ E
- III. ग्राम—अटरा, जियोग्राफिक को—ऑडिनेट $21^{\circ} 56' 54.03''$ N, $81^{\circ} 59' 21.41''$ E

उक्त स्थलों का विभिन्न तथ्यों/विन्दुओं पर अध्ययन उपरांत प्रस्तावित स्थल (ग्राम—हथनेवरा, तहसील—चांपा, जिला—जांजगीर—चांपा) को उपयुक्त पायें जाने पर चयनित किया गया है।

2. निकटतम स्थिति कियाकलापों संबंधी जानकारी —

- निकटतम आवादी ग्राम—हथनेवरा 850 मीटर की दूरी पर स्थित है। रेलवे स्टेशन चांपा 6 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। विमानपत्तन, बिलासपुर 60 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग से लगी हुई है एवं राष्ट्रीय राजमार्ग 6 कि.मी. दूर है। हसदेव नदी 1.9 कि.मी. एवं जरमरिया नाला 500 मीटर दूर है। नहर परिसर से लगी हुई है।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय राज्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित किटिकली

पॉल्युट्रेड क्षेत्र, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।

1. **भू-रसायनिक्य** – भूमि मेसर्स टिलपति मिनरल्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर है।
2. **लेण्ठ ऐरिया स्टैटमेंट** – कुल क्षेत्रफल 4.816 हेक्टेयर (11.406 एकड़) है। जिसमें बिल्टअप का क्षेत्रफल 0.49 हेक्टेयर, री-कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.71 हेक्टेयर, बार्ड-कोल स्टोरेज यार्ड का क्षेत्रफल 0.32 हेक्टेयर, रिजेक्ट्स स्टोरेज का क्षेत्रफल 0.24 हेक्टेयर अन्य फैसिलिटी का क्षेत्रफल 1.31 हेक्टेयर एवं शीन बेल्ट का क्षेत्रफल 1.54 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) में प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 40 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षाशोपण कर संशोधित लेण्ठ ऐरिया स्टैटमेंट प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
3. **री-मटेरियल** – री-कोल 0.96 मिलियन टन प्रतिवर्ष उपयोग किया जाएगा। बार्ड कोल 0.72 मिलियन टन प्रतिवर्ष एवं रिजेक्ट्स कोल 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। री-कोल एस.ई.सी.एल. कोरका के खदानों दीपका, गैवरा एवं कुसमुंडा री आपूर्ति किया जाना प्रस्तावित है। खदान से बौशरी तक री-कोल का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। प्रस्तुतीकरण के दीरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बौशरी से बार्ड कोल का परिवहन कर्स्टमर के साथ हुये एम.ओ.यू. के आधार पर सड़क मार्ग या रेलमार्ग द्वारा किया जाएगा। रिजेक्ट का परिवहन सड़क मार्ग से ढंके हुये वाहनों द्वारा किया जाएगा। समिति का मत है कि अधिकतम बार्ड कोल का परिवहन रेल मार्ग से किया जाना आवश्यक है। इस संबंध में विस्तृत प्रस्ताव है आई.ए. रिपोर्ट में समावेश किया जाए।
4. **वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – कोल क्रशार इवाई, रोटरी ब्रेकर एवं स्लीन हाऊस में डस्ट एवं स्ट्रोकशन सिस्टम के साथ बैग फिल्टर की स्थापना की जाएगी। क्रशार के चारों ओर जल छिड़काव हेतु आटोमाइजर नोजल अरेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। परिसर के चारों ओर ऊची बाउण्ड्री बॉल का निर्माण एवं रेन गन के साथ ऊची स्लीन स्थापित की जाएगी। साथ ही डस्ट साप्रेशन / पशुविटिय डस्ट उत्पादन के नियंत्रण हेतु जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है।
5. **ठोस अपशिष्ट अपवहन व्यवस्था** – बौशरी रिजेक्ट्स लगभग 0.24 मिलियन टन प्रतिवर्ष उत्पन्न होगा। कोल बाशरी से उत्पन्न रिजेक्ट्स को आस-पास पावर प्लांटों एवं अन्य स्थानों को ईधन के रूप में उपयोग हेतु उपलब्ध कराया जाएगा।
6. **जल प्रबंधन व्यवस्था** –

- **जल स्थपत एवं स्त्रोत** – प्रस्तावित परियोजना हेतु 210 घनमीटर प्रतिदिन (परेलू उपयोग हेतु 10 घनमीटर प्रतिदिन एवं बौशरी हेतु 200 घनमीटर प्रतिदिन) जल की स्थपत होगी, जिसकी आपूर्ति भू-जल से की जाएगी। भू-जल की उपयोगिता हेतु अनुमति सेन्ट्रल ग्राउण्ड बॉटर अधीरिटी से लिया जाना प्रस्तावित है।

- **जल प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था** – हैवी मीडिया सायबलोन आधारित बेट कोल बौशरी स्थापित किया जाएगा। ब्लोज़ लूप बॉटर सिस्टम व्यवस्था की जाएगी। प्रक्रिया से उत्पन्न दूषित जल के उपचार हेतु थिकनर, बेल्ट प्रैस एवं सेटलिंग पॉण्ड की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक प्रक्रिया से

उत्पन्न दूषित जल को उपरोक्तानुसार उपचार उपरांत पुनः प्रक्रिया में डस्ट सप्रेशन में तथा परिसर के भीतर वृक्षारोपण में उपयोग किया जाना प्रस्तावित है। घरेलू दूषित जल उपचार हेतु सेप्टिक टैंक एवं सोक्रिट स्थापित किया जाएगा। शून्य निस्सारण की स्थिति रखी जाएगी।

- भू-जल उपयोग प्रबंधन – परियोजना स्थल सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड के अनुसार सोफ जोन में आता है। जिसके अनुसार—
 - (अ) वृहद एवं मध्यम उद्योगों को कम से कम 40 प्रतिशत दूषित जल का पुनर्उत्करण एवं पुनरुपयोग किया जाना है।
 - (ब) ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हेतु अपनाई गई तकनीक यथा रेनवाटर हार्डिंग / ऑटिफिशियल जल रिचार्ज के आधार पर भू-जल निकाले जाने की अनुमति सेंट्रल ग्राउन्ड वाटर बोर्ड द्वारा दिये जाने का प्रावधान है। अतः उद्योग को रेनवाटर हार्डिंग व्यवस्था किया जाना आवश्यक है।
- रेन बॉटर हार्डिंग व्यवस्था – प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि रेन बॉटर हार्डिंग व्यवस्था का विवरण है। आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाएगा।
- 7. विद्युत स्वापन एवं स्त्रोत – परियोजना हेतु 1 मेंगार्ड विद्युत की आवश्यकता होगी, जिसकी आपूर्ति उत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी से की जाएगी।
- 8. वृक्षारोपण की स्थिति – हरित पट्टिका के विकास हेतु कुल क्षेत्रफल के 1.54 हेक्टेयर (33 प्रतिशत) क्षेत्र में नग पीछे रोपित किया जाना प्रस्तावित है। परिसर के बारी तरफ 12 से 30 बीटर हरित पट्टी का विकास किया जाना प्रस्तावित है। समिति का मत है कि 50 प्रतिशत क्षेत्र में वृक्षारोपण कर संशोधित लै-आउट प्लान ई.आई.ए. रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
- 9. प्रस्तुतीकरण के दौरान परियोजना प्रस्तावक द्वारा बताया गया कि बैस लाईन डेटा कलेक्शन का कार्य 20 मार्च 2022 से 20 जून 2022 तक किया गया।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से प्रकरण थी-1 केटेगरी का होने के कारण भारत सरकार पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अप्रैल, 2015 में प्रयोगित स्टैचडर्ड टर्न्स ऑफ रिकॉर्ड (टीओआर) कोर ईआईए/ईएमपी रिपोर्ट कोर प्रोजेक्ट्स/एकटीविटीज रिकार्यरिंग इन्वायरमेंट बलीयरेस अण्डर ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 में वर्णित श्वेती 2(ए) का स्टैचडर्ड टीओआर (लोक सुनवाई सहित) कोल बौशरी क्षमता-0.96 निलियन टन प्रतिवर्ष वेट टाईप हेतु जारी किए जाने की अनुशंसा निम्न अंतिरिक्त टीओआर के साथ की गई—

- I. Project proponent shall submit details of STP with process flow diagram and proposal for maintaining zero discharge condition.
- II. Project proponent shall submit calculation regarding total storm water received in the premises, potential of rain water harvesting and quantity to be harvested along with details of proposed structures in EIA report.
- III. Project Proponent shall submit CER proposals with details of works and detailed estimates.
- IV. Project Proponent shall submit NOC from Central Ground Water Authority for use of ground water.

- v. Project Proponent shall submit a layout of area proposed for plantation, earmarking atleast 15 to 30m wide green belt all along the periphery of the project area & make green belt of atleast 50% of the total area.
- vi. Project proponent shall undertake plantation (as far as possible fruit bearing species) within the premises as per guidelines issued from time to time and minimum 05 feet height and shall maintain 90% survival rate. The plantation shall be maintained by project proponent for atleast 5 years. Project proponent shall submit half yearly reports regarding compliance to the Authority. The details to be submitted alongwith Geotag photographs in the EIA report.
- vii. Project Proponent shall submit proposal regarding transportation of most of the raw coal, clean coal and reject through rail as far as possible.
- viii. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding national highway.
- ix. Project Proponent shall submit the action plan for safety measures/ pollution control regarding nearest canal / water bodies.
- x. Project proponent shall submit an action plan for the conservation and maintenance of water bodies & prepare and submit a study report regarding impact on Riverine Ecology of the study area including adjacent canal.
- xi. Project proponent shall submit CER proposals with details of works alongwith their estimates including land cost and incorporating the plant cost, fertilizer cost, irrigation cost and maintenance cost for atleast 5 years & incorporate in the EIA report.

राज्य सत्र पर्यावरण समाधान निर्बात्तन प्राधिकरण (एस.ई.आई.ए.ए.), छत्तीसगढ़ को तदानुसार सूचित किया जाए।

9. मेसर्स डी. बी. गावर (जे.वी.) (मांजा आर्थिनरी स्टोन टेम्परी परमिट क्षारी) ग्राम—मांजा, तहसील—लखनपुर, जिला—सारगुजा (संविवालय का नस्ती क्रमांक 2139)

ऑनलाईन आवेदन — प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 290516 / 2022, दिनांक 26 / 08 / 2022 हारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण — यह प्रस्तावित साधारण पत्थर (गोण स्थिति) खदान है। खदान ग्राम—मांजा, तहसील—लखनपुर, जिला—सारगुजा स्थित खसरा क्रमांक 74 / 83 एवं 74 / 49 कुल कोटफल—1 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्तरांश कमता—1,66,302.26 टन प्रतिवर्ष है।

तदानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23 / 11 / 2022 हारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण —

(अ) समिति की 436 वीं बैठक दिनांक 29 / 11 / 2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आकाश वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति हारा नस्ती, प्रस्तुत जानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न स्थिति पाई गई:-

1. एम.एव.ए.आई. द्वारा मेसर्स डी. बी. गावर (जे.यी.) को जारी वर्क ऑफिर की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरणः— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्थनन एवं ब्रह्मार के संबंध में ग्राम पंचायत मांजा का दिनांक 24/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्थनन योजना — टी.पी. क्यारी प्लान, इन्हायरोमेट मैनेजमेंट प्लान एण्ड क्यारी डलोजर प्लॉन प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (खप्र.), जिला—रायगढ़ के झापन क्रमांक 1345/ख.लि.-2/2022 रायगढ़, दिनांक 06/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सरगुजा के झापन क्रमांक 836/खनिज/ख.लि.3/2022 अधिकापुर, दिनांक 18/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर की परिधि अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएँ — कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सरगुजा के झापन क्रमांक 836/खनिज/ख.लि. 3/2022 अधिकापुर, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे मंदिर, मरुघट, स्कूल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं हैं।
7. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. मेसर्स डी. बी. गावर (जे.यी.) के नाम पर है जो कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा), जिला—सरगुजा के झापन क्रमांक 411/खनिज/ख.लि.3/उ.अ./2022 अधिकापुर, दिनांक 21/03/2022 द्वारा जारी की गई है। एल.ओ.आई. में 6 मीटर की गहराई तक पत्थर उत्थनन किया जाने का उल्लेख है। जिसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6 (ख) तथा प्रारूप 9 की कठिका अठारह (ख) के तहत खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार जांघ प्रतिवेदन में खनिज लगभग 100 फीट की गहराई तक होना चाहाया गया है।
8. भू—रवायित्व — भूमि खसरा क्रमांक 74/83 श्री सीतम एवं खसरा क्रमांक 74/49 श्रीमती सुन्नीबाई के नाम पर है। उत्थनन हेतु भूमि रवायियों का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।
9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट — वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र — कार्यालय बनमंडलाधिकारी, सरगुजा बनमंडल, अधिकापुर के झापन क्रमांक/तक.अधि./1383 अधिकापुर, दिनांक 01/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र बन क्षेत्र से 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी — निकटतम आबादी ग्राम—मोहनपुर 750 मीटर स्कूल ग्राम—मोहनपुर 2 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम—लखनपुर 7.4 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3 कि.मी. एवं राज्यमार्ग 29.85 कि.मी. दूर है। रेहर

मध्ये 1.55 कि.मी., नौसमी नाला 1.2 कि.मी., तालाब 960 मीटर एवं नहर 890 मीटर दूर सिथत है।

12. पारिस्थितिकीय / जैवविविधता संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावक द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राजीय सीमा, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्लिटिकली पॉल्युट्रेड इरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जैवविविधता क्षेत्र सिथत नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. खनन संपदा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 3,82,200 टन, भाईगेबल रिजर्व 1,74,041 टन एवं रिकवरेबल रिजर्व 1,65,339 टन है। लीज की 7.5 मीटर छोड़ी सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रतिबन्धित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 3,480 वर्गमीटर है। ओपन कास्ट सेमी ऐकोनाईज़र्ड टिप्पणी से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 15 मीटर है। लीज क्षेत्र में कृपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 1,956 घनमीटर है, जिसमें से 1,220 घनमीटर कृपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (भाईग बाउण्ड्री) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा। बेच की ऊंचाई 3 मीटर एवं छोड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभायित आयु 1 वर्ष है। लीज क्षेत्र में क्षार स्थायित किया जाना प्रस्तावित नहीं है। जैक हैमर से ड्रिसिंग व कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिड़काव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है—

वर्ष	प्रस्तावित उत्खनन (टन)
प्रथम	1,65,302.28

14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 562 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोर्डवेल के माध्यम से की जाती है। इस बाबत सेन्ट्रल ग्राउण्ड वॉटर अर्थोरिटी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य – लीज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर की पट्टी में 348 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 4,330 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 60,000 रुपये, खाद के लिए राशि 17,400 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,35,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में राशि 2,18,730 रुपये तथा कुल राशि 6,13,000 रुपये आगामी 4 वर्षों हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि “वृक्षारोपण के प्रपोजल की राशि को आवेदित खदान के 7.5 मीटर की हरित पट्टी में प्रपोजल अनुसार वृक्षारोपण किया जाकर राशि खर्च की जावेगी। खर्च किये गए राशि की जानकारी पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिया जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके द्वारा यी गई अनुशासनात्मक / वैद्यानिक कार्यवाही के लिए मै बाध्य रहूँगा।”
16. खदान की 7.5 मीटर की छोड़ी सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज क्षेत्र के चारों ओर 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन वर्गी नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक द्वारा सीईआर (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के सम्मानित प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है।

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
12.83	2%	0.2566	Following activities at nearby Govt. primary school Village- Lotanpara (Manja)	
			Running water arrangement in Toilet	
			Water tank (1,000 liter)	0.20
			Pipeline, Installation & Accessories	
			Environment Conservation related Books	0.10
			Steel Almira	
			Plantation around school campus	0.65
			Total	0.95

18. सीईआर के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सीईआर के अंतर्गत स्कूल परिसर में वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 50 नग पीढ़ों के लिए राशि 500 रुपये, फॉसिंग के लिए राशि 10,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,250 रुपये, सिंचाई एवं रस्ता-रसाव के लिए राशि 32,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 43,750 रुपये एवं द्वितीय वर्ष में 21,250 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि सीईआर के प्रयोजन में दिए गये राशि को सीईआर प्रयोजन के अनुसार खर्च किया जाएगा। खर्च किये गए राशि की जानकारी पर्यावरण स्वीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिया जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके द्वारा दी गई अनुशासनात्मक/वैधानिक कार्यवाही के लिए मै बाध्य रहूंगा।

19. समिति का मत है कि सीईआर के अंतर्गत स्कूल परिसर में 100 वृक्षारोपण किये जाने हेतु पीढ़ों, फॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रस्ता-रसाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यय का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाना अवश्यक है।

20. पूर्व में (1) मेसर्स डी.वी.गावर (जो.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 164691 / 2020, दिनांक 22 / 07 / 2020), (2) मेसर्स डी.वी.गावर (जो.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 165106 / 2020, दिनांक 25 / 07 / 2020), (3) मेसर्स डी.वी.गावर (जो.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रयोजन नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 165106 / 2020, दिनांक 25 / 07 / 2020), (4) मेसर्स डी.वी. गावर (जो.वी.), ग्राम-मांजा,

तहसील—लखनपुर, जिला—सरगुजा (प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202557 / 2021, दिनांक 09 / 03 / 2021) एवं (5) मेरासी डी.बी. गावर (जि.बी.), ग्राम—मांजा, तहसील—लखनपुर, जिला—सरगुजा (प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202601 / 2021, दिनांक 09 / 03 / 2021) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सी.इ.आर. के भौतिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ भूत्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ भूत्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अन्धिकारपुर का गठन किया जाना है।

21. ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बालण्डी) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किये जाने उपरांत शेष 736 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (भू—स्थानी — हेतना नंब शिल, खासरा क्रमांक 216 / 1 एवं 224 / 4) में भण्डारित कर संरक्षित किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भण्डारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु मिट्टी का दुरुपयोग न करने, ठिक्काय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्उत्तराव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. कार्यालय सहायक अमियता लोक स्वास्थ्य याचिकी विभाग, उपखंड अधिकारपुर जिला—सरगुजा के ज्ञापन दिनांक 25 / 11 / 2022 अनुसार ‘ग्राम मांजा के खसरा क्रमांक 74 / 83 एवं 74 / 49 के आस पास खुदाई के दौरान 100 फीट से अधिक गहराई में पानी उपलब्ध होता है’ का चलाया है।
23. ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. फ्लूजिट्रिव डस्ट उत्पादन के विद्युतण हेतु नियमित जल ठिक्काव किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. मार्फिंग लीज क्षेत्र के अंदर सपन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. छत्तीसगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत न्यायालयीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बालण्डी विलर्स द्वारा सीमाकंन का कार्य सुनिश्चित किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दूषित जल का प्रथाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विरुद्ध इस परियोजना / खदान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लंबित नहीं है।

30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विलद्ध भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना नम.आ. 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रबन्धन लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विवार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार विषय लिया गया:-

1. सीईआर. के अंतर्गत स्वूत्र परिसर में 100 वृक्षारोपण किये जाने हेतु पौधों, फैशिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रखा-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकवार एवं समयवार व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाए।
2. पूर्व में (1) मेसर्स डी.वी.गावर (जे.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 164691 / 2020, दिनांक 22/07/2020), (2) मेसर्स डी.वी.गावर (जे.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 165106 / 2020, दिनांक 25/07/2020), (3) मेसर्स डी.वी.गावर (जे.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 165106 / 2020, दिनांक 25/07/2020), (4) मेसर्स डी.वी. गावर (जे.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202557 / 2021, दिनांक 09/03/2021) एवं (5) मेसर्स डी.वी. गावर (जे.वी.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202601 / 2021, दिनांक 09/03/2021) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सीईआर. के भौतिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह धूम, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अधिकारीपुर का गठन किया जाता है। उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह धूम, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ को सीईआर. के भौतिक सत्यापन किये जाने हेतु सूचित किया जाए।

10. मेसर्स डी. वी. गावर (जे.वी.) (मांजा आर्द्धनरी स्टोन टेम्परी परमिट कवारी) ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (सचिवालय का नम्बर क्रमांक 2140)

ऑनलाइन आवेदन - प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 290519 / 2022, दिनांक 27/08/2022 द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु आवेदन किया गया है।

प्रस्ताव का विवरण – यह प्रस्तावित साधारण पत्रर (गौण खनिज) खदान है। खदान ग्राम—मांजा, तहसील—लखनपुर, ज़िला—सरगुजा सिथित खसरा क्रमांक 74/44, यूल क्षेत्रफल—0.979 हेक्टेयर में प्रस्तावित है। खदान की आवेदित उत्खनन क्षमता—2,33,900.36 टन प्रतिवर्ष है।

दारानुसार परियोजना प्रस्तावक को एस.ई.ए.सी., छत्तीसगढ़ के ज्ञापन दिनांक 23/11/2022 द्वारा प्रस्तुतीकरण हेतु सूचित किया गया।

बैठक का विवरण –

(अ) समिति की 436 वीं बैठक दिनांक 29/11/2022:

प्रस्तुतीकरण हेतु श्री आकाश वर्मा, अधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हुए। समिति द्वारा नस्ती, प्रस्तुत ज्ञानकारी का अवलोकन एवं परीक्षण करने पर निम्न सिद्धिति पाई गई:-

1. एन.एच.ए.आई. द्वारा मेसर्स डी. बी. गावर (जे.वी.) को जारी वर्क ऑर्डर की प्रति प्रस्तुत की गई है।
2. पूर्व में जारी पर्यावरणीय स्वीकृति संबंधी विवरण— इस खदान को पूर्व में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है।
3. ग्राम पंचायत का अनापत्ति प्रमाण पत्र — उत्खनन एवं लगार रक्षापना के संबंध में ग्राम पंचायत नांजा का दिनांक 24/01/2021 का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है।
4. उत्खनन योजना — टी.पी. क्यारी प्लान, इन्ड्यायरोमेंट मैनेजमेंट प्लान एफडी क्यारी क्लोजर प्लॉन प्रस्तुत किया गया है, जो उप संचालक (ख.प्र.), ज़िला—रायगढ़ के ज्ञापन क्रमांक 1344/ख.लि.-2/2022 रायगढ़, दिनांक 08/06/2022 द्वारा अनुमोदित है।
5. 500 मीटर की परिधि में स्थित खदान — कार्यालय क्लेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 834/खनिज/ख.लि.3/2022 अधिकापुर, दिनांक 18/07/2022 के अनुसार आवेदित खदान से 500 मीटर के भीतर अवस्थित अन्य खदानों की संख्या निरंक है।
6. 200 मीटर की परिधि में स्थित सार्वजनिक क्षेत्र/संरचनाएं — कार्यालय क्लेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—राजनांदगांव के ज्ञापन क्रमांक 833/ख.लि.3/2022 अधिकापुर, दिनांक 18/07/2022 द्वारा जारी प्रमाण पत्र अनुसार उक्त खदान से 200 मीटर की परिधि में कोई भी सार्वजनिक क्षेत्र जैसे नदिर, ग्राम्य, स्वाल, अस्पताल, पुल, बांध, एनीकट, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्यमार्ग एवं जल आपूर्ति आदि प्रतिबंधित क्षेत्र निर्मित नहीं है।
7. एल.ओ.आई. का विवरण — एल.ओ.आई. मेसर्स डी. बी. गावर (जे.वी.) के नाम पर है जो कार्यालय क्लेक्टर (खनिज शाखा), ज़िला—सरगुजा के ज्ञापन क्रमांक 410/खनिज/ख.लि.3/उ.अ./2022 अधिकापुर, दिनांक 21/03/2022 द्वारा जारी की गई है। एल.ओ.आई. मै 6 मीटर की गहराई तक पत्थर उत्खनन किया जाने का उल्लेख है। जिसके संदर्भ में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 के नियम 6 (ख) तथा प्रारूप 9 की कंडिका अठारह (ख) के तहत खनिज उपलब्धता के संदर्भ में प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जिसके अनुसार जांच प्रतिवेदन में खनिज लगभग 100 फीट की गहराई तक होना बताया गया है।
8. भू—स्वामित्व — भूमि खसरा क्रमांक 74/44 श्री हेमंत नंद सिंह के नाम पर है। उत्खनन हेतु भूमि स्वामी का सहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है।

9. डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट – वर्ष 2019 की डिस्ट्रीक्ट सर्वे रिपोर्ट (District Survey Report) की प्रति प्रस्तुत की गई है।
10. बन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र – कार्यालय बनमंडलसाधिकारी, सरगुजा बनमंडल, अभिकाशपुर के ज्ञापन क्रमांक/तक.अधि./1381 अभिकाशपुर, दिनांक 01/07/2021 से जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र के अनुसार आवेदित क्षेत्र बन क्षेत्र से 2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है।
11. महत्वपूर्ण संरचनाओं की दूरी – निकटतम आबादी ग्राम–मांजा 600 मीटर, सफूल ग्राम–मांजा 1 कि.मी. एवं अस्पताल ग्राम–लखनपुर 7.2 कि.मी. की दूरी पर स्थित है। राष्ट्रीय राजमार्ग 3.6 कि.मी. एवं राजमार्ग 2945 कि.मी. दूर है। रेहर नदी 1.65 कि.मी., नहर 1.45 कि.मी., तालाब 1.6 कि.मी. एवं गौसमी नाला 760 मीटर दूर स्थित है।
12. पारिस्थितिकीय/जौवाहिकीय संवेदनशील क्षेत्र – परियोजना प्रस्तावका द्वारा 10 कि.मी. की परिधि में अंतर्राज्यीय सीमा, राष्ट्रीय स्थान, अभयारण्य, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा घोषित क्रिटिकली पॉल्युटेंड एरिया, पारिस्थितिकीय संवेदनशील क्षेत्र या घोषित जौवाहिकीय क्षेत्र स्थित नहीं होना प्रतिवेदित किया है।
13. खनन संघर्षा एवं खनन का विवरण – जियोलॉजिकल रिजर्व 6,03,259 टन, माईनेश्वल रिजर्व 2,48,218 टन एवं रिक्षाश्वेल रिजर्व 2,33,907 टन है। लौज की 7.5 मीटर ऊँची सीमा पट्टी (उत्खनन के लिए प्रस्तावित क्षेत्र) का क्षेत्रफल 2,805 वर्गमीटर है। ओपन कार्ग रोमी मेकेनाईज़ड विधि से उत्खनन किया जाएगा। उत्खनन की प्रस्तावित अधिकतम गहराई 24 मीटर है। लौज क्षेत्र में ऊपरी मिट्टी की मोटाई 0.3 मीटर है तथा कुल मात्रा 2,095.5 घनमीटर है, जिसमें से 983 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बाचपनी) क्षेत्र में फैलाकर वृक्षारोपण के लिए उपयोग किया जायेगा। लौज की ऊपराई 3 मीटर एवं चौड़ाई 3 मीटर है। खदान की संभावित आयु 1 वर्ष है। लौज क्षेत्र में क्षार रक्षापना की प्रस्ताव नहीं किया गया है। जैक हैमर से ड्रिलिंग व कंट्रोल ब्लास्टिंग किया जाएगा। खदान में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु जल का छिनकाव किया जाएगा। वर्षावार प्रस्तावित उत्खनन का विवरण निम्नानुसार है:-
- | वर्ष | प्रस्तावित उत्खनन (टन) |
|-------|------------------------|
| प्रथम | 2,33,900.36 |
14. जल आपूर्ति – परियोजना हेतु आवश्यक जल की मात्रा 5.74 घनमीटर प्रतिदिन होती है। जल की आपूर्ति बोर्डेल के माध्यम से की जायेगी। इस बाबत सेन्ट्रल बाचपनी की अनुमति प्राप्त कर प्रस्तुत किया गया है।
15. वृक्षारोपण कार्य – लौज क्षेत्र की सीमा में चारों ओर 7.5 मीटर ऊपरी पट्टी में 279 नग वृक्षारोपण किया जाएगा। प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार वृक्षारोपण के लिए राशि 3,485 रुपये, केंसिंग के लिए राशि 50,000 रुपये, खाद के लिए राशि 13,950 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 1,35,000 रुपये, इस प्रकार प्रश्नम कार्य में राशि 2,02,415 रुपये तथा कुल राशि 5,98,500 रुपये आगमी 4 वर्षों हेतु घटकबार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावका हारा इस आशय का शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है कि "वृक्षारोपण के प्रयोजन की राशि को आवेदित खदान के 7.5 मीटर की हरित पट्टी में प्रयोजन

अनुसार यूक्तारोपण किया जाकर राशि खर्च की जायेगी। खर्च किये गए राशि की जानकारी पर्यावरण स्थीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिया जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो आपके हासा वी गई अनुसारानामक / पैदानिक कार्यवाली के लिए मै बाध्य रहूंगा।

16. खदान की 7.5 मीटर की ऊँची सीमा पट्टी में उत्खनन – लीज शेव को आसे और 7.5 मीटर की सीमा पट्टी में उत्खनन कार्य नहीं किया गया है।
17. कॉर्पोरेट पर्यावरणीय दायित्व (C.E.R.) – परियोजना प्रस्तावक हासा सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु समिति के समक्ष विस्तार से वर्चा उपरांत निम्नानुसार विस्तृत प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है:-

Capital Investment (in Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (in Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)		
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)	
		Following activities at nearby Govt. primary school Village- Mohanpur			
		Running water arrangement in Toilet			
12.75	2%	0.255	Water tank (1,000 liter)	0.20	
			Pipeline, Installation & Accessories		
			Environment Conservation related Books	0.10	
			Steel Almira		
			Plantation around school campus	0.48	
			Total	0.78	

18. सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित स्कूल के प्राचार्य (Principal) का राहमति पत्र प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में यूक्तारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 40 नग पौधों के लिए राशि 400 रुपये, फेसिंग के लिए राशि 8,000 रुपये, खाद के लिए राशि 1,000 रुपये, सिंचाई एवं रख-रखाव के लिए राशि 22,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 31,400 रुपये एवं द्वितीय वर्ष में 16,000 रुपये हेतु घटकवार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। साथ ही परियोजना प्रस्तावक हासा इस आशय का लाप्त विवरण प्रस्तुत किया गया है कि "सी.ई.आर. के प्रयोजन में दिए गये राशि को सी.ई.आर. प्रयोजन के अनुसार खर्च किया जाएगा। खर्च किये गए राशि की जानकारी पर्यावरण स्थीकृति के पालन प्रतिवेदन में दिया जायेगा, यदि ऐसा नहीं किया

जाता है तो आपके द्वारा दी गई अनुशासनात्मक / वैधानिक कार्यवाही के लिए मैं बाध्य रहूँगा।

19. समिति का नता है कि सी.ई.आर. के अंतर्गत स्कूल परिसर में 100 यूक्षारोपण किये जाने हेतु पीघो, फैसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षी का घटकावार एवं समययार व्यव वा विवरण विस्तृत प्रस्ताव ताहित प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।
20. पूर्व में (1) मेसर्स छी.की.गावर (जे.की.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 164691 / 2020, दिनांक 22 / 07 / 2020), (2) मेसर्स छी.की.गावर (जे.की.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 165106 / 2020, दिनांक 25 / 07 / 2020), (3) मेसर्स छी.की.गावर (जे.की.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 165106 / 2020, दिनांक 25 / 07 / 2020), (4) मेसर्स छी.की. गावर (जे.की.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202557 / 2021, दिनांक 09 / 03 / 2021) एवं (5) मेसर्स छी.की. गावर (जे.की.), ग्राम-मांजा, तहसील-लखनपुर, जिला-सरगुजा (प्रपोजल नम्बर - एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202601 / 2021, दिनांक 09 / 03 / 2021) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सी.ई.आर. के भौतिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अम्बिकापुर का गठन किया जाना है।
21. ऊपरी मिट्टी को 7.5 मीटर (माईन बालपट्टी) क्षेत्र में फैलाकर यूक्षारोपण के लिए उपयोग किये जाने उपरांत शेष 1,112.5 घनमीटर ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर सहमति प्राप्त भूमि (भू-स्थानी - हेमंत नंद सिंह, खसरा क्रमांक 216 / 1 एवं 224 / 4) में भवारित कर संरक्षित किये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है। साथ ही ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर भवारित कर संरक्षित रखे जाने हेतु, मिट्टी का दुलपयोग न करने, विक्रय न करने एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किये जाने एवं इस मिट्टी का उपयोग पुनर्भाव में किये जाने बाबत शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
22. कार्यालय सहायक अभियंता लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, उपखंड अधिकापुर जिला-सरगुजा के ज्ञापन दिनांक 25 / 11 / 2022 अनुसार "ग्राम मांजा के खसरा क्रमांक 74 / 44 के आस पास खुदाई के दौरान 100 फीट से अधिक गहराई में पानी उपलब्ध होता है" का उल्लेख है।

23. एक्सासिटेंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा कराये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
24. फ्यूजिटिव डस्ट उत्सर्जन के नियंत्रण हेतु नियमित जल छिड़काव किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
25. माइनिंग लीज शेअर के अंदर साधन रूक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पीछों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
26. उत्तीर्णगढ़ आदर्श पुनर्वास नीति के तहत स्थानीय लोगों को रोजगार दिये जाने हेतु शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनिज नियमों के तहत बालचंडी पिल्लस द्वारा सीमावान्न का कार्य सुनिश्चित किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
28. परियोजना प्रस्तावक द्वारा किसी भी प्रकार का दृष्टित जल का प्रवाह प्राकृतिक जल स्रोत, तालाब, नदी, नाला में नहीं किये जाने एवं इसके संरक्षण किये जाने वाले शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उनके विलक्ष इस परियोजना/खादान से संबंधित कोई न्यायालयीन प्रकरण देश के अंतर्गत किसी भी न्यायालय में लघित नहीं है।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा शपथ पत्र (Notarized undertaking) प्रस्तुत किया गया है कि उसके विलक्ष भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना का आ 804(अ), दिनांक 14/03/2017 के अंतर्गत कोई उल्लंघन का प्रकरण लंबित नहीं है।

समिति द्वारा विचार विमर्श उपरांत सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

- सीईआर के अंतर्गत स्कूल परिवर में 100 रूक्षारोपण किये जाने हेतु पीछों, फॉसिंग, खाद एवं सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए 5 वर्षों का घटकावार एवं समयवार व्यव का विवरण विस्तृत प्रस्ताव सहित प्रस्तुत किया जाए।
- पूर्व में (1) मेसर्स डी.वी.गावर (जे.झी.), ग्राम—मांजा, तहसील—लखनपुर, जिला—सरगुजा (प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 164691 / 2020, दिनांक 22/07/2020), (2) मेसर्स डी.वी.गावर (जे.झी.), ग्राम—मांजा, तहसील—लखनपुर, जिला—सरगुजा (प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 165106 / 2020, दिनांक 28/07/2020), (3) मेसर्स डी.वी.गावर (जे.झी.), ग्राम—मांजा, तहसील—लखनपुर, जिला—सरगुजा (प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी / एमआईएन / 165106 / 2020, दिनांक 25/07/2020), (4) मेसर्स डी.वी. गावर (जे.झी.), ग्राम—मांजा, तहसील—लखनपुर, जिला—सरगुजा (प्रपोजल नम्बर — एसआईए / सीजी

/एमआईएन / 202557 /2021, दिनांक 09 / 03 / 2021) एवं (5) मेसर्स डी.डी.गावर (जोड़ी), ग्राम—मांजा, तहसील—लखनपुर, ज़िला—सरगुजा (प्रधानमंत्री नम्बर – एसआईए / सीजी / एमआईएन / 202601 /2021, दिनांक 09 / 03 / 2021) को जारी पर्यावरणीय स्वीकृति के सीईआर के भौतिक सत्यापन हेतु तीन सदस्यीय उपसमिति में श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री विश्वान सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं क्षेत्रीय अधिकारी, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मंडल, अभिकापुर का गठन किया जाता है। उपसमिति से निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत प्रस्ताव पर आगामी कार्यवाही की जाएगी।

परियोजना प्रस्तावक को तदानुसार सूचित किया जाए। साथ ही श्री एन. के. चन्द्राकर, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति, छत्तीसगढ़, श्री किशन सिंह धुव, सदस्य, राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति एवं दोनों अधिकारी, दोनों कार्यालय, छत्तीसगढ़ को सी.ई.आर. के भौतिक सत्यापन किये जाने हेतु सूचित किया जाए।

बैठक घन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुई।

11

(कलाधिकृत तिकी)
सदस्य संघिय
राज्य संस्थाय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति
एल्लीस गढ़

B. L.

(डॉ. वी. पी. नोन्हारे)
अध्यक्ष
राज्य स्तरीय विद्योषङ्ग मूल्याकान समिति
प्रत्यार्थी संगठन

मेसार्स चंबरदाल लाईम स्टोन माईन (प्रो.-श्री राहुल ओसावाल)
को पार्ट ऑफ खसरा क्रमांक 568/1 एवं 568, कूल लीज क्षेत्र 1.125 हेक्टेयर
याम-चंबरदाल, तहसील व जिला-शजनांदगांव में छूना पर्यावरण (गौण खनिज)
उत्थनन - 6,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्थनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1.125 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से छूना पर्यावरण का अधिकतम उत्थनन 6,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन कराकर पक्के गुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की यैधता भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्राक्षण्यों के तहत होगी।
3. बलस्टर हेतु प्रस्तुत कर्मन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार बृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संचारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. बलस्टर हेतु तैयार ईआईए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर गोनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह गोनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा निष्टी) किया जाए। गोनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उधित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सातही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। अपितु इसी प्रक्रिया में अथवा बृक्षारोपण हेतु पुनरुपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेटिंग टैक एवं सॉकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सातही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं बर्बाद्दतु जल जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संचालन मण्डल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं भूमि का पुनरस्थापना इस विधि तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, बनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन वलोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. मूँ-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय मूँ-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित खनन से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी खिमनी / वेट / प्याईट सोस से पार्टिक्यूलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीयाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। छशार, स्क्रीन, ट्रांसफर बॉइट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता का देग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न पर्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुंच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन बिन्दुओं डस्ट कंटेनर कम संप्रेशन सिस्टम एवं जल छिह्नकाव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संधालन / संवारण सुनिश्चित किया जाए। विष्ण ब्रेकिंग रॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. याहनों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संखाय अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुसर रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की गुणवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के घासों तरफ फॉरिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
12. लीज क्षेत्र के घासों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की छोड़ी पट्टी में कोई वैस्ट का ढंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में दूकारोपण किया जाए।
13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टैबिलाईज) करने में किया जाए।
14. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार नियांरित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का अन्यत्र उपयोग, विक्रय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनर्भव के लिए किया जाए।
15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / विक्री अयोग्य खनिज (वैस्ट रॉक) को पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भंडारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भंडारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न ढाल सके। ढंप की ऊचाई 3 मीटर तथा रूलोप 25 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन ढंप का करण होकर हेतु वैज्ञानिक तरीके से दृक्षारोपण किया जाए।
16. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / विक्री अयोग्य खनिज (वैस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गढ़ों में पुनर्भव (वैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा बाहित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सातही जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने

हेतु माईन पीट तथा हम्प क्लॉब मेरिंग बॉल / गारलेष्ट हेन की व्यवस्था की जाए।

18. खनिज का परिवहन कम्हड़ वाहन से किया जाए, ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं पिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को कमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के संबोधित प्रस्ताव अनुसार सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह मेरिंग लघु से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरोक्त संबोधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्थवाचिक रिपोर्ट मेरिंग समाप्त करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।
20. सी.ई.आर. कोमन इन्डायरोमेटल मेरेजमेंट प्लान, कोमन इन्डायरोमेटल मेरेजमेंट प्लान मेरिंग का परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं युक्तारोपण कार्य के नीनिटरिंग एवं पर्यावरण हेतु त्रि-पक्षीय समिति (प्रोपशाईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छल्लीसगढ़ पर्यावरण संचालन मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कोमन इन्डायरोमेटल मेरेजमेंट प्लान, कोमन इन्डायरोमेटल मेरेजमेंट प्लान मेरिंग का परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सड़कों के रख-रखाव एवं युक्तारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरोक्त गठित त्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें स्थान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके द्वारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्थनन हेतु निविद्ध क्लॉब (चारों तरफ 7.5 मीटर छोड़ा क्लॉब), होल रोड, ओवरकर्फन हम्प आदि मेरिंग स्थानीय प्रजाति के 657 वृक्षों का सपन युक्तारोपण प्रथम वर्ष मेरिंग किया जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड या मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्राथमिकता के आधार पर स्थान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 मेरिंग लीज क्लॉब के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 250 पौधों का रोपण (कुल 907 पौधे) स्थान के खुले क्लॉब मेरिंग किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाहर अथवा द्वी पाठ का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा मेरिंग संबोधित ग्राम पंचायत द्वारा चिन्हीत क्लॉब मेरिंग उपरोक्तानुसार युक्तारोपण किया जाए। सुपरोक्त युक्तारोपण प्रथम वर्ष मेरिंग पूर्ण किया जाए। उपरोक्त युक्तारोपण प्रथम वर्ष मेरिंग पूर्ण किया जाए। 5 पीट से 6 पीट कंबाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। युक्तारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरन्तर की जा सकती है।
24. रोपित किये जाने वाले पौधों मेरिंग संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफ्स सहित जानकारी अर्थवाचिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
25. माईनिंग लीज क्लॉब के अंदर एवं बाहर सपन युक्तारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही

यूक्तारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये मृत पौधों को प्रतिरक्षापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये यूक्तारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्थार्थिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छलीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण नण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए. छलीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कौमन इन्हायरीमेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से फ्युजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिड़काव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कनसेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बालचड़ी पिल्लर्स द्वारा सीमावांन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निवायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा घनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक सुपाय किया जाए। घनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र घनि दाले क्षेत्रों में काम करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर विकिन्तसकीय जाँच एवं आवश्यकता अनुसार उनका सुपचार भी कराया जाए।
32. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्पोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (पलाई रोक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्षम व्यवस्था किया जाए। डेट ड्रिलिंग अथवा बायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आवारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतुप्त प्रभाव में वीं जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिवर्षति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि वनस्पतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छलीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्रावधानों, अनुमोदित चरखनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्रावधानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि केमिंग श्रमिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे श्रमिकों के आवास हेतु संधित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
37. श्रमिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पेयजल विकिन्तसकीय सुविधा, बीबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. श्रमिकों का समय-समय पर आवश्यूप्रैशनल हेल्प सर्विलेस कराना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसर पार्थिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के दिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकरण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संलोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्सर्जन / निरस्त्राय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ संविवालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, मिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मौनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए वरतावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के वैज्ञानिकों/अधिकारीयों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मौनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति विवरण की जा सकती है।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसोक्तमय और अन्य अपरिषिष्ट (प्रबंध एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़

इस पर विचार कर शांति की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त भिंडिंग करने बाबत् निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के दिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-खापार एवं चहोंग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल के समक्ष, नेशनल ग्रीन ट्रीब्यूनल एवट 2010 की घाता 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि से बीमा सकती है।


सचिन सिंह, एस.ई.ए.सी.


अशोक कुमार, एस.ई.ए.सी.

मेसर्सॉ चंबरदाल लाईम स्टोन माइन (प्रो.-श्री समीर पोददार)
को पार्ट ऑफ खसरा कमांक 391/1, कुल लीज क्षेत्र 1.942 हेक्टेयर,
ग्राम-चंबरदाल, तहसील व जिला-शाजनादगांव में बूना पत्थर (गोण खनिज)
उत्थनन - 39,900 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकातम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 1942 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खण्डिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज क्षेत्र (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से चूना पत्थर का अधिकल्तम उत्खनन 30,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करकर पक्के बुनारे लगाया जाए।
 2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ई.आई.ए. नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रावधानों के तहत रहेगी।
 3. कलस्टर हेतु प्रस्तुत कौमन इन्हायरोनेटल मेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
 4. कलस्टर हेतु तैयार ई.आई.ए. रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मौनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिभाह मौनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा निटटी) किया जाए। मौनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, कोट्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत कोट्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
 5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की उचित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
 6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न खिसी भी प्रकार से दूषित जल को खिसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए, अपितु इसे प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनरुत्थयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सेप्टिक टैंक एवं सोकपीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सतही जल स्त्रोतों में खिसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाच्छुतु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
 7. खनि पट्टा धारक खान संधारन बंद करने के उपरांत (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा किसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों की कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी ग्री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं नूनि का पुनरुत्थापना इस रिथर्टि तक किया जाएगा, जिससे यह चारा, बनस्पतियों, जीवों आदि के उत्पत्ति हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर प्लान एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विमानी / वैट / प्लाईट सोसाईट से पार्टिकुलेट मैटर उत्तरार्जन की बाजा 50 ग्रिलीशाम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। कशर, स्कीन, ट्रांसफर प्लाईट्स (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन शिर्टम के साथ उच्च दक्षता का बेग किल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न पश्चुजिटिव डस्ट उत्तरार्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुंच मार्ग, रैम्प, संग्रहण केन्द्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्तरार्जन विन्दुओं डस्ट कॉन्सेन्ट का साप्रेशन शिर्टम एवं जल छिक्काव की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विष्णु ब्रेकिंग वॉल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. बाहरों, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप सखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की मृजवत्ता भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खादान के बारों तरफ फेंसिंग का कार्य किये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
12. लीज क्षेत्र के बारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर वी छोड़ी पट्टी में कोई डेस्ट या डंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पंक्तियों में वृक्षारोपण किया जाए।
13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉर्डिल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनः उद्धार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
14. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार नियांसित स्थान पर भंडारित कर संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का अन्यत्र उपयोग, दिक्कय एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खादान के पुनर्माव के लिए किया जाए।
15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / विकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को पृथक से पूर्व से चिन्हीत स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उद्धित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न लाल सके। डम्प की ऊँचाई 3 मीटर तथा रूलोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का शरण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से वृक्षारोपण किया जाए।
16. जाहीं तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / विकी अयोग्य खनिज (वेस्ट रोक) को खनन के पश्चात बने गद्दों में पुनर्माव (वैक फिलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा वांछित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सतही जल स्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने

हेतु माईन पीट रथा उम्म क्षेत्र मे रिटेनिंग बौस / गारलेप्ड ड्रेन की व्यवस्था की जाए।

18. खगिज वज परियहन ककड वाहन से किया जाए, ताकि खगिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खगिज वज परियहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) के संशोधित प्रस्ताव अनुसार सी.ई.आर. के तहत निर्धारित वर्षावाही प्रारम्भिक 06 माह मे अगिकार्य लप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्य के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित गाम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्धवार्षिक रिपोर्ट मे समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित होगा।
20. सी.ई.आर. कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान मे परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सङ्को के रक्ष-रक्षाव एवं वृक्षारोपण कार्य के नीनिटरिंग एवं पर्यावरण हेतु क्रि-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ पर्यावरण संखाज भष्टल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर., कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान, कौमन इन्हायरोमेंटल मेनेजमेंट प्लान मे परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता, सङ्को के रक्ष-रक्षाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित क्रि-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
21. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खदान/उद्योग/भट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके हारा कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अगिकार्य लप से कराना आपकी जिम्मेदारी होगी।
22. उत्तरानन हेतु निश्चि क्षेत्र (चालों तरफ 7.5 मीटर बीड़ा क्षेत्र), होल रोड, औवरबर्डन उम्म आदि मे स्थानीय प्रजाति के 1,818 वृक्षों का सघन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष मे किया जाए। हरित पट्टी का विकास कोन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।
23. प्राथमिकता के आधार पर खदान प्रबंधन हारा वर्ष 2023-24 मे लीज क्षेत्र के अनुसार बड़, पीपल, नीम, करंज, सीरु, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 400 पौधों का रोपण (कुल 2,218 पौधे) खदान के खुले क्षेत्र मे किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (वथा काटेदार तार के बाढ अथवा ट्री गार्फ का उपयोग) किया जाए। स्थल सपलब्द नहीं होने की दशा मे संबंधित गाम पंचायत हारा विन्हीत क्षेत्र मे उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष मे पूर्ण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रथम वर्ष मे पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊंचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
24. रोपित किये जाने वाले पौधों मे संख्याकन (Numbering) एवं पीढे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफर सहित जानकारी अर्धवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
25. माईनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर सघन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सरवाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही

वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये नृत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।

26. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफ्स अर्धवर्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बोर्ड एवं एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
27. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 मीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के लहर प्रस्तावित कार्य एवं लोक सुनवाई में दिये गये आश्वासन के अनुसार कार्य करना, कौनसे इन्हायरोमेटल मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
28. परियोजना से जिन-जिन स्थलों से पशुजिटिव डस्ट उत्सर्जन होगा, उन स्थलों पर नियमित जल छिपकाव की व्यवस्था किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा भिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के लहर बाउण्ड्री पिल्लर्स द्वारा सीमाकांन वा कार्य सुनिश्चित किया जाए।
30. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संवर्धन किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। ध्वनि का स्तर उत्खनन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। तीव्र ध्वनि वाले क्षेत्रों में काम करने वाले अभिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर चिकित्सकीय जौच एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
32. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एम.एस. द्वारा अधिकृत विस्फोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ों (फ्लाई रॉक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सहाय व्यवस्था किया जाए। बेट ड्रिलिंग अथवा बायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आवारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे डस्ट का उत्सर्जन नियंत्रण में रहे।
33. उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के उपर असंतुष्ट प्रभाव में की जाएगी एवं उत्खनन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी पश्चिमति में नहीं किया जाए।
34. उत्खनन की प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि बनसपतियों एवं जीव-जन्तुओं पर कम से कम दुष्प्रभाव हो।
35. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गौण खनिज का उत्खनन छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम, 2015 के प्राक्घानों, अनुमोदित उत्खनन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। माईन एक्ट 1952 के प्राक्घानों का पालन किया जाए।
36. कार्य स्थल पर यदि अभियंग अभिक कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अभिकों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात हटाया जा सके।
37. अभिकों के लिए खनन स्थल पर स्वच्छ पैदल चिकित्सकीय सुविधा, बोबाइल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
38. अभिकों का समय-समय पर आक्यूप्रैशनल हेल्प सर्विलेस कराना आवश्यक है।
39. उत्खनन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खनन योजना के अनुसर यार्थिक योजना, जिसमें उत्खनन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी

प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुनति के बिना नहीं किया जाए।

40. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अध्यया अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारों के अतिकरण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय करनूँगी / विधियों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
41. एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन ज करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन / निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्तर्जीन / निरस्त्राय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
42. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना द्वारा के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियों संधियालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अबलोकन हेतु उपलब्ध है। साथ ही इसका अबलोकन वेबसाइट pariveshunilc.in पर भी किया जा सकता है।
43. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्ध कार्यिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, शिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
44. एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मौनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।
45. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पैदानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मौनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
46. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्ते जल (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रक्रम एवं सीमापार संचलन) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विनिर्दिष्ट की जा सकती है।
47. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विवलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़

इस पर विचार कर शती की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने वाले निर्णय ले सके। खदान में कोई भी विस्तार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

48. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण गठबंध पर्यावरणीय स्वीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं उद्योग केन्द्र एवं कलेक्टर/तहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।
49. पर्यावरणीय स्वीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल शीन ट्रीब्यूनल के समझ, नेशनल शीन ट्रीब्यूनल एकट 2010 की घास 16 में दिए गए प्राक्षयानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकेगी।

सदस्य रायिव, एस.ई.ए.सी.

अध्यक्ष, एस.ई.ए.सी.

गैसर्स श्रीमती सुमन सिंह (बल्देवपुर लाईन स्टोन कंपनी)
को पार्ट ऑफ खासरा क्रमांक 887, कुल लीज क्षेत्र 0.85 हेक्टेयर, शाम-बल्देवपुर
तहसील-खौरागढ़, जिला-राजनांदगाँव में छूना पत्थर (गोण खनिज) उत्खनन-
10,000 टन प्रतिवर्ष हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में दी जाने वाली शर्तें

1. यह पर्यावरणीय स्वीकृति अधिकतम उत्खनन क्षेत्रफल (लीज क्षेत्र) 0.85 हेक्टेयर अथवा छत्तीसगढ़ शासन, खनिज शासन विभाग द्वारा स्वीकृत लीज (दोनों में से जो कम हो) हेतु मान्य होगा। इसी प्रकार खदान से छूना पत्थर का अधिकतम उत्खनन 10,000 टन प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होगा। लीज क्षेत्र की सीमाओं का सीमांकन करकार पक्के मुनारे लगाया जाए।
2. पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय द्वारा जारी ईआईए नोटिफिकेशन, 2006 (यथा संशोधित) के प्रायोगिकों के तहत रहेगी।
3. कलस्टर हेतु प्रस्तुत कौमन इन्हायरोइंग नेनेजमेंट प्लान के अनुसार वृक्षारोपण एवं परिवहन सड़कों एवं खदान से परिवहन सड़क तक पहुंच मार्गों के संधारण का कार्य 6 माह में पूर्ण किया जाए।
4. कलस्टर हेतु तैयार ईआईए रिपोर्ट में जिन स्थलों पर मौनिटरिंग कार्य किया गया है, उक्त स्थलों पर प्रतिमाह मौनिटरिंग कार्य (वायु, जल तथा मिट्टी) किया जाए। मौनिटरिंग रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बड़ल, अटल नगर, श्रीक्रीय कार्यालय छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बड़ल, भिलाई-दुर्ग, एसईआईएए, छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत श्रीक्रीय कार्यालय पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को अर्द्धवार्षिक (Half yearly Monitoring Report) प्रेषित की जाए।
5. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान से उत्पन्न जल एवं घरेलू दूषित जल (यदि कोई हो), के उपचार की सुधित एवं पर्याप्त व्यवस्था की जाए।
6. औद्योगिक प्रक्रिया एवं खदान से उत्पन्न किसी भी प्रकार से दूषित जल को किसी नदी अथवा सराही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। अपितु इसी प्रक्रिया में अथवा वृक्षारोपण हेतु पुनःउपयोग किया जाए। घरेलू दूषित जल के उपचार के लिए सैटिक टैंक एवं सौकायीट की व्यवस्था की जाए एवं जल को किसी नदी अथवा सराही जल स्रोतों में किसी भी परिस्थिति में निस्सारित नहीं किया जाए। दूषित जल एवं वर्षाकर्तु का जल आपस में न मिलने देने हेतु भी व्यवस्था की जाए। उपचारित दूषित जल की गुणवत्ता भारत सरकार, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन, मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानक अथवा छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण बड़ल द्वारा अधिसूचित मानक (जो भी कठोर हो) के अनुसार सुनिश्चित किया जाए।
7. खनि पट्टा धारक खान संचालन बंद करने के उपरान्त (after ceasing mining operations) खनन क्षेत्र तथा जिसी भी अन्य क्षेत्र जो कि उनकी खनन गतिविधियों के कारण प्रभावित (disturbed due to their mining activities) हुए हैं, उनकी री-ग्रासिंग (re-grassing) की जाएगी एवं मूर्मि का पुनःस्थापना इस रिथिति तक किया जाएगा, जिससे यह खान, बनरपतियों, जीवों आदि के उत्परित हेतु उपयुक्त हो। परियोजना प्रस्तावक द्वारा संक्षम प्राधिकारी से अनुमोदित माईन क्लोजर एवं एक माह के भीतर प्रस्तुत किया जाए।

8. भू-जल के उपयोग हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए। साथ ही अन्य स्त्रोत से जल का उपयोग किये जाने की स्थिति में संबंधित विभाग से उत्खनन आरंभ करने के पूर्व अनुमति प्राप्त की जाए।
9. किसी विमानी / बैट / पार्टीट सोस से पार्टीकुलेट मेटर उत्सर्जन की मात्रा 50 मिलीग्राम / सामान्य घनमीटर से कम सुनिश्चित किया जाए। क्षार, सलीन, ट्रांसफर प्यांडस (यदि कोई हो) में वायु प्रदूषण नियंत्रण हेतु डस्ट एक्सट्रैक्शन सिस्टम के साथ उच्च दक्षता वज बैग फिल्टर स्थापित किया जाए। खनिज उत्खनन गतिविधियों के विभिन्न स्त्रोतों से उत्पन्न फ्लूजिटिव डस्ट उत्सर्जन का नियंत्रण प्रभावी एवं नियमित रूप से किया जाए। पहुँच मार्ग, रैम्प, संग्रहण क्षेत्र, भराई एवं अन्य डस्ट उत्सर्जन विन्दुओं डस्ट कॉटेनर कम संप्रेशन सिस्टम एवं जल छिह्नकार की व्यवस्था की जाकर इसका सतत संचालन / संधारण सुनिश्चित किया जाए। विष्णु ब्रेकिंग वौल का निर्माण सुनिश्चित किया जाए।
10. याहनी, खनन एवं अन्य प्रक्रिया से उत्पन्न वायु प्रदूषण को पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं वायु (प्रदूषण नियारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत विनिर्दिष्ट मानकों के अनुरूप रखा जाएगा। उत्खनन क्षेत्र में परिवेशीय वायु की मुख्यता भारत सरकार के पर्यावरण, बन और जल वायु परिवर्तन मंत्रालय, नई दिल्ली द्वारा अधिसूचित मानकों से अधिक नहीं होनी चाहिए।
11. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के चारों तरफ पोसिंग का कार्य किये जाने के सुपरात ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जाए।
12. लीज क्षेत्र के चारों तरफ छोड़ी गई 7.5 मीटर की छोड़ी पट्टी में कोई बेस्ट का ढंप / भण्डारण नहीं किया जाए तथा इस पट्टी में 3 पक्कियों में कृषारोपण किया जाए।
13. उत्खनन प्रक्रिया के दौरान हटाई गई ऊपरी मिट्टी (टॉप सॉइल) का उपयोग उत्खनन हेतु उपयोग में न आने वाली भूमि के पुनरुत्थार हेतु अथवा बाहरी ओवरबर्डन को स्थिर (स्टेबिलाईज) करने में किया जाए।
14. ऊपरी मिट्टी को लीज क्षेत्र के बाहर प्रस्ताव अनुसार निर्धारित स्थान पर भंडारित कार संरक्षित रखा जाए। मिट्टी का अन्यत उपयोग, विलग एवं अन्य कार्यों में उपयोग नहीं किया जाए। इस मिट्टी का उपयोग खदान के पुनरुत्थाव के लिए किया जाए।
15. ओवरबर्डन एवं अनुपयोगी / विकी अयोग्य खनिज (विस्ट रॉक) को पूर्व से पूर्व से चिन्हित स्थल पर भण्डारित किया जाएगा। इस प्रकार के भण्डारण स्थलों को उचित प्रकार से सुरक्षित रखे जावें ताकि भण्डारित पदार्थ आस-पास की भूमि पर विपरित प्रभाव न डाल सके। डम्प की ऊंचाई 3 मीटर तथा स्लोप 28 डिग्री से अधिक न हो। ओवरबर्डन डम्प का कारण रोकने हेतु वैज्ञानिक तरीके से बुकारोपण किया जाए।
16. जहाँ तक संभव हो ओवरबर्डन एवं अन्य अनुपयोगी / विकी अयोग्य खनिज (विस्ट रॉक) को खनन के पश्चात बने गड्ढों में पुनरुत्थाव (वैक किलिंग) हेतु उपयोग किया जाए, ताकि भूमि का मूल उपयोग अथवा बाहित वैकल्पिक उपयोग सुनिश्चित किया जा सके।
17. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जाए कि खनन प्रक्रिया से उत्पन्न सिल्ट लीज क्षेत्र के आस-पास के सरहदी जल स्त्रोतों में प्रवाहित न हो। इसे रोकने

हेतु माइन पीट तथा डम्प केंद्र मे रिटेनिंग बॉल / गारलेष्ट हेन की व्यवस्था की जाए।

18. खनिज का परिवहन कम्हड वाहन से किया जाए ताकि खनिज वाहन से बाहर नहीं गिरे। खनिज का परिवहन कर रहे वाहनों को क्षमता से अधिक नहीं भरा जाना सुनिश्चित किया जाए।
19. सी.ई.आर. (Corporate Environment Responsibility) हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव पर कार्य पर्यावरण प्रबंधन योजना के अंतर्गत किया जाए:-

Capital Investment (In Lakh Rupees)	Percentage of Capital Investment to be Spent	Amount for CER Activities (In Lakh Rupees)	Amount Proposed & Details for CER Activities (in Lakh Rupees)	
			Particulars	CER Fund Allocation (in Lakh Rupees)
41			Following activities at, Village- Baldevpur	
Pavitra Van Nirman		0.82	12.70	
			Total	12.70

20. सी.ई.आर. के तहत निर्धारित कार्यवाही प्रारंभिक 06 माह में अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। सी.ई.आर. के उपरोक्त प्रस्तावित कार्यों के कार्य पूर्ण उपरांत संबंधित ग्राम पंचायत से कार्यपूर्ण प्रतिवेदन प्राप्त कर अर्द्धवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये प्रस्तुत किया जाए। सी.ई.आर. कार्य की सफलता सुनिश्चित करना आपका उत्तरदायित्व होगा।
21. सी.ई.आर. के अंतर्गत ‘पवित्र वन निर्माण’ के तहत (आंवला, बढ़, पीपल, नीम, आम, अर्जुन, बेल आदि) वृक्षारोपण हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार 400 नग पौधों के लिए राशि 30,400 रुपये, फैसिंग के लिए राशि 93,300 रुपये, खाद के लिए राशि 3,000 रुपये, सिंचाई तथा रख-रखाव के लिए राशि 2,66,000 रुपये, इस प्रकार प्रथम वर्ष में कुल राशि 3,92,700 रुपये तथा आगामी 4 वर्ष में कुल राशि 8,77,360 रुपये हेतु घटकन्यार व्यय का विवरण प्रस्तुत किया गया है। सी.ई.आर. के तहत पवित्र वन हेतु ग्राम पंचायत बल्देवपुर के सहमति उपरांत यशायोग्य स्थान (खसरा क्लमांक 787 / 1, क्षेत्रफल 0.25 हेक्टेयर) के संबंध में प्रस्तुत जानकारी अनुसार कार्य पूर्ण करें।
22. सी.ई.आर. कोमन इन्हायरोमेंट्स मेनेजमेंट प्लान, कोमन इन्हायरोमेंट्स मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमागिता, सङ्करों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण कार्य के मॉनिटरिंग एवं पर्यवेक्षण हेतु श्री-पक्षीय समिति (प्रोपराईटर/प्रतिनिधि, ग्राम पंचायत के पदाधिकारी/प्रतिनिधि एवं जिला प्रशासन या छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के पदाधिकारी/प्रतिनिधि) गठित किया जाए। साथ ही सी.ई.आर. कोमन इन्हायरोमेंट्स मेनेजमेंट प्लान, कोमन इन्हायरोमेंट्स मेनेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहमागिता, सङ्करों के रख-रखाव एवं वृक्षारोपण का कार्य पूर्ण किये जाने के उपरांत गठित श्री-पक्षीय समिति से सत्यापित कराया जाए।
23. जब भी निरीक्षण दल/अधिकारी निरीक्षण हेतु स्थल पर आये, तब उन्हें खादान/उद्योग/मट्टा के निरीक्षण के साथ-साथ सी.ई.आर. के तहत आपके हाथ कराये गये कार्यों का निरीक्षण भी अनिवार्य रूप से करना आपकी जिम्मेदारी होगी।
24. उत्थनन हेतु निविद्ध क्षेत्र (धारों तरफ 7.5 मीटर ऊँझा क्षेत्र), हील रोड, ओवरबर्हन डम्प आदि में स्थानीय प्रजाति के 548 वृक्षों का सापन वृक्षारोपण प्रथम वर्ष में किया

जाए। हरित पट्टी का विकास केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की मार्गदर्शिका के अनुसार किया जाए।

25. प्राथमिकता के आधार पर स्वादान प्रबंधन द्वारा वर्ष 2023-24 में लीज क्षेत्र के अनुसार बढ़, पीपल, नीम, करंज, सीसू, आम, इमली, अर्जुन, सीरस आदि अन्य स्थानीय प्रजातियों के 200 पौधों का रोपण (कुल 748 पौधे) स्वादान के सूले क्षेत्र में किया जाए। रोपण को सुरक्षित रखने के लिये उपयुक्त एवं पर्याप्त व्यवस्था (यथा कांटेदार तार के बाढ़ अथवा ट्री गार्ड का उपयोग) किया जाए। स्थल उपलब्ध नहीं होने की दशा में संबंधित चाम पंचायत द्वारा विन्हीन क्षेत्र में उपरोक्तानुसार वृक्षारोपण किया जाए। उपरोक्त वृक्षारोपण प्रबंधन वर्ष में पूर्ण किया जाए। संपर्कवत् वृक्षारोपण प्रबंधन वर्ष में पूर्ण किया जाए। 5 फीट से 6 फीट ऊँचाई वाले पौधों का ही रोपण किया जाए। वृक्षारोपण नहीं करने पर जारी पर्यावरणीय स्वीकृति निरस्त की जा सकती है।
26. रोपित किये जाने वाले पौधों में संख्यांकन (Numbering) एवं पौधे के नाम का उल्लेख करते हुये जियोटेग (Geotag) फोटोग्राफस सहित जानकारी अर्थवार्षिक रिपोर्ट के साथ जमा करें।
27. मार्डिनिंग लीज क्षेत्र के अंदर एवं बाहर संधन वृक्षारोपण किये जाने एवं रोपित पौधों का सारबाईवल रेट (Survival rate) 90 प्रतिशत सुनिश्चित किया जाए। साथ ही वृक्षारोपण का रख-रखाव आगामी 5 वर्ष तक सुनिश्चित करते हुये भूत पौधों को प्रतिस्थापित (Mortality replacement) किया जाए।
28. किये गये वृक्षारोपण की पुष्टी हेतु डी.जी.पी.एस. (Differential Global Positioning System) सर्वे एवं फोटोग्राफस अर्थवार्षिक रिपोर्ट में समाहित करते हुये छत्तीसगढ़ पर्यावरण संलग्न मण्डल एवं एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को प्रेषित किया जाए।
29. परियोजना प्रस्तावक द्वारा 7.5 नीटर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रस्तावित कार्य, सी.ई.आर. के तहत प्रस्तावित कार्य एवं लौक सुनवाई में दिये गये आशयासन के अनुसार कार्य करना, कोईमन हन्दायरीमेंटल मैगेजमेंट प्लान में परियोजना प्रस्तावक की सहभागिता के कार्य करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्वीकृति को निरस्त करने की कार्यवाही की जाएगी।
30. परियोजना से जिन-जिन रस्तों से फ्युजिटिव डर्ट उत्सर्जन होगा, उन रस्तों पर नियमित जल छिपकाव की व्यवस्था किया जाए।
31. परियोजना प्रस्तावक द्वारा मिनरल्स कन्सेशन नियम (Minerals Concession Rule) के तहत बाज़र्झी पिल्लर्स द्वारा सीमांकन का कार्य सुनिश्चित किया जाए।
32. परियोजना प्रस्तावक द्वारा तालाब, पोखर, नहर, नदी, नाला एवं अन्य जल निकायों के संरक्षण एवं संरक्षण किया जाए।
33. परियोजना प्रस्तावक द्वारा व्यनि प्रदूषण के नियंत्रण हेतु आवश्यक उपाय किया जाए। व्यनि का स्तर उत्तरानन क्षेत्र में दिन के समय 75 DB(A) एवं रात्रि के समय 70 DB(A) से अधिक नहीं होना चाहिए। लीव्र व्यनि वाले क्षेत्रों में कान करने वाले श्रमिकों को इयरप्लग/मफ आदि प्रदान किए जाएं एवं समय-समय पर थिकिलसकीय जींघ एवं आवश्यकता अनुसार उनका उपचार भी कराया जाए।
34. कंट्रोल ब्लास्टिंग का कार्य डी.जी.एस. द्वारा अधिकृत डिस्पोटक लाईसेंस धारक (Explosive License Holder) द्वारा किया जाए। पत्थर के छोटे-छोटे टुकड़ी (पलाई रीक्स) को उड़ने से रोकने हेतु पर्याप्त एवं सक्तम व्यवस्था किया जाए। येट ब्रिलिंग

अथवा वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था आधारित ड्रिलिंग किया जाए, जिससे उन्न का उत्खर्जन नियंत्रण में रहे।

35. उत्खर्जन प्रक्रिया भू-जल स्तर के ऊपर असंतुष्ट प्रभाग में ही जाएगी एवं उत्खर्जन प्रक्रिया भू-जल स्तर के नीचे किसी भी परिस्थिति में नहीं किया जाए।
36. उत्खर्जन यमि प्रक्रिया इस प्रकार सुनिश्चित की जाए कि बनस्पतियों एवं जीव-जन्माओं पर कम से कम दुष्कर्माव हो।
37. परियोजना प्रस्तावक द्वारा गैंग खनिज का उत्खर्जन छत्तीसगढ़ गैंग खनिज नियम, 2015 के प्राक्षानों, अनुमोदित उत्खर्जन योजना एवं पर्यावरणीय प्रबंधन योजना के अनुसार किया जाए। मार्च 2015 के प्राक्षानों का पालन किया जाए।
38. कार्य रूपल पर यदि केंद्रिय अभियान कार्य पर लगाये जाते हैं तो ऐसे अभियानों के आवास हेतु उचित व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाएगी। आवासीय व्यवस्था अस्थायी संरचनाओं के रूप में हो सकती है, जिसे परियोजना पूरी होने के पश्चात् हटाया जा सके।
39. अभियानों के लिए खनन रूपल पर स्वच्छ पेयजल विकिन्सीय सुविधा, गोबाहुल टायलेट आदि की व्यवस्था परियोजना प्रस्तावक द्वारा की जाए।
40. अभियानों का समय-समय पर आवृद्धपेशनल हेत्य सर्विलेस करना आवश्यक है।
41. उत्खर्जन की तकनीक, कार्य क्षेत्र एवं अनुमोदित उत्खर्जन योजना के अनुरूप वार्षिक योजना, जिसमें उत्खर्जन, खनिज की मात्रा एवं अपशिष्ट सम्मिलित है, में किसी भी प्रकार का परिवर्तन एस.ई.आई.ए.ए. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन भंडालय, भारत सरकार की पूर्ण अनुमति के बिना नहीं किया जाए।
42. इस पर्यावरणीय स्वीकृति को जारी करने का आशय किसी व्यक्तिगत अथवा अन्य सम्पत्ति पर अधिकार दर्शाने का नहीं है एवं न ही यह पर्यावरणीय स्वीकृति किसी निजी सम्पत्ति को नुकसान पहुंचाने अथवा व्यक्तिगत अधिकारी के अधिकारण अथवा केन्द्र, राज्य एवं स्थानीय कानूनों / किंवितों के उल्लंघन हेतु अधिकृत करता है।
43. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से, परियोजना की रूपरेखा में परिवर्तन अथवा विनियोगित शर्तों के संतोषप्रद रूप से पालन न करने की दशा में किसी भी शर्त में संशोधन/निरस्त करने अथवा नई शर्त जोड़ने अथवा उत्खर्जन / निश्चाय के मानकों को और सख्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
44. परियोजना प्रस्तावक न्यूनतम 2 स्थानीय समाचार पत्रों में, जो कि परियोजना क्षेत्र के आस-पास व्यापक रूप से प्रसारित हो, पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के 7 दिनों के भीतर इस आशय की सूचना प्रसारित करेगा कि परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त हो गई है एवं पर्यावरणीय स्वीकृति पत्र की प्रतियाँ संविदालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल में अवलोकन हेतु उपलब्ध हैं। साथ ही इसका अवलोकन वेबसाइट parivesh.nic.in पर भी दिया जा सकता है।
45. पर्यावरणीय स्वीकृति में दी गई शर्तों के पालन हेतु की गई कार्यवाही की अर्द्ध वार्षिक रिपोर्ट छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, अटल नगर, क्षेत्रीय कार्यालय, छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल, भिलाई-दुर्ग, एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ एवं एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन भंडालय, भारत सरकार, रायपुर द्वारा पर्यावरणीय स्वीकृति में प्रदत्त शर्तों के पालन की मौनिटरिंग की जाएगी। इस हेतु परियोजना प्रस्तावक द्वारा समय-समय पर प्रस्तुत किए गए

दस्तावेजों एवं आवेदन का पूर्ण सेट एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर को प्रेषित किया जाए।

47. एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़, पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार / एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, पर्यावरण, बन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, रायपुर / केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड / छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल के दैज़ानिकों/अधिकारियों को शर्तों के अनुपालन के संबंध में की जाने वाली मौनिटरिंग हेतु पूर्ण सहयोग प्रदान किया जाए। परियोजना प्रस्तावक द्वारा विभिन्निष्ट शर्तों का अनुपालन करना नहीं पाये जाने पर पर्यावरणीय स्थीकृति निरस्त की जा सकेगी।

48. परियोजना प्रस्तावक छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल एवं राज्य सरकार द्वारा दी गई शर्तों का अनिवार्य रूप से पालन करेगा। ये शर्तें जल (प्रदूषण नियारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1974 वायु (प्रदूषण नियारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 तथा इनके तहत बनाये गये नियमों, परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रक्रम एवं सीमापार संघरण) नियम, 2016 तथा लोक दायित्व वीमा अधिनियम, 1991 (यथा संशोधित) के अधीन विभिन्निष्ट की जा सकती हैं।

49. प्रस्तावित परियोजना के बारे में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ में प्रस्तुत विवरण में कोई भी विचलन अथवा परिवर्तन होने की दशा में एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ को पुनः नवीन जानकारी सहित सूचित किया जाए, ताकि एस.ई.आई.ए.ए., छत्तीसगढ़ हस्त पर विचार कर शर्तों की उपयुक्तता अथवा नवीन शर्त निर्दिष्ट करने वाले निर्णय ले सकें। यदान में कोई भी विचार अथवा उन्नयन एस.ई.आई.ए.ए.. छत्तीसगढ़ / पर्यावरण, बन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाए।

50. छत्तीसगढ़ पर्यावरण संरक्षण मण्डल पर्यावरणीय स्थीकृति की प्रति को उनके क्षेत्रीय कार्यालय, जिला-व्यापार एवं सदौग केन्द्र एवं बालेक्टर/लहसीलदार कार्यालय में 30 दिवस की अवधि के लिए प्रदर्शित करेगा।

51. पर्यावरणीय स्थीकृति के विरुद्ध अपील नेशनल शीन ट्रीब्यूनल के समझ, नेशनल शीन ट्रीब्यूनल एकट 2010 वी धारा 16 में दिए गए प्रावधानों अनुसार, 30 दिन की समय अवधि में की जा सकती।

सदस्या संशिल एवं हरा सी

Blank